रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2015/वैशाख 21, 1937
No. 122] NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2015/VAISAKHA 21, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली 11 मई, 2015

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित काम्पैक्ट फ्लुओरेसैंन्ट लैम्प्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा

सं.15/22/2013-डीजीएडी : समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके अंतर्गत बने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

1. यत:, चीन जन.गण., श्रीलंका और वियतनाम से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. 14/01/2007-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की गई थी। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित काम्पैक्ट फ्लुओरेसैंन्ट लैम्प्स (सीएफएल) (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 12 मार्च, 2008 को जारी किया था। इस अनंतिम शुल्क का अधिरोपण दिनांक 21 नवम्बर, 2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 126/2008 के तहत किया गया था। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. एवं वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीएफएल के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया था। संबद्ध वस्तु पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण दिनांक 26 मई, 2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 55/2009-सीमाशुल्क के तहत किया गया था।

2. यत:, इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कम्पोनेन्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे एतद्पश्चात "एल्कोमा" या "याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोसिएशन" या "आवेदक" कहा गया है) ने वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों की ओर से एक आवेदनपत्र, अधिनियम एवं नियमों के अनुसार, चीन जन.गण. (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित काम्पैक्ट फ्लुओरेसॅन्ट लैम्प्स (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए दायर किया है और उक्त देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का समय विस्तार करने का अनुरोध किया है।

3. और यत:, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण करने और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की जरूरत का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुसार संबद्ध जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र में दिनांक 14 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित एक अधिसूचना संख्या 15/22/2003-डीजीएडी के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

क. प्रक्रिया

4. संबद्ध जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया में अनुपालन किया गया है :

(i) प्राधिकारी को चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित काम्पैक्ट फ्लुओरेसॅन्ट लैम्प्स के आयातों पर प्रभावी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने और उसकी समीक्षा करने के लिए घरेलू उद्योग की ओर से इलेक्ट्रिक लैम्प एंड काम्पोनेन्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से एक आवेदनपत्र प्राप्त हुआ।

(ii) याचिकाकर्ता ने प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा और उसकी निरंतरता की जांच करने के लिए अनुरोध करते हुए इस संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए।

(iii) प्राधिकारी ने चीन के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास को यह सूचना दी कि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने के लिए घरेलू उद्योग से एक याचिका प्राप्त हुई है।

(iv) प्राधिकारी ने, इस जांच की शुरूआत को औचित्यपूर्ण बताते हुए, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध एक निर्णाय समीक्षा जांच दिनांक 14 नवम्बर, 2013 की जांच शुरूआत अधिसूचना के तहत प्रारंभ की।

(v) वर्तमान समीक्षा जांच के दायरे में दिनांक 30 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या 14/1/2007-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे।

(vi) प्राधिकारी ने इस जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति चीन जन.गण. के भारत स्थित राजदूतावास, चीन जन.गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुरूप ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को तथा घरेलू उद्योग को प्रेषित की और उनसे यह अनुरोध किया कि वे अपने विचारों से इस जांच शुरूआत अधिसूचना के 40 दिनों के अंदर लिखित रूप में अवगत करा दें।

(vii) प्राधिकारी ने आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की प्रतियां ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और चीन जन.गण. के भारत स्थित राजदूतावास को पूर्वोक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार उपलब्ध कराई। इस आवेदन पत्र की एक प्रति, अनुरोध करने पर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

(viii) भारत में चीन के राजदूतावास को नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार इस निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के बारे में सूचित किया गया और उनसे यह अनुरोध किया किया कि वे चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को यह सुझाव दें कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रदान करें। निर्यातकों को प्रेषित प्रश्नावली तथा पत्र की प्रति चीन के राजदूतावास को ज्ञात संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ प्रेषित की गई।

(ix) प्राधिकारी ने संगत सूचना प्राप्त करने के लिए नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार चीन जन.गण. के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली प्रेषित की :

क. मैसर्स चांगचुन इलेक्ट्रिक वायर एंड बल्ब, चीन

ख. मैसर्स हांगझोऊ होप लाइटिंग अपलायन्सेस कंपनी लिमिटेड, चीन

ग. मैसर्स फुजिआन फुझोऊ लाइट बल्ब फैक्टरी, चीन

घ. मैसर्स गुंगझोऊ पानयु सीगल फ्लैश लाइट इंडस्ट्रीज कपंनी, चीन

ङ. मैसर्स हिनान एनयांग बल्ब फैक्टरी, चीन

च. मैसर्स जिआंग्सु झुझोऊ एवरलास्टिंग लाइटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, चीन

छ. मैसर्स लिगिंग इलेक्ट्रिक बल्ब फैक्टरी, चीन

ज. मैसर्स शंघाई यामिंग इलेक्ट्रिक लैम्प्स वर्क्स कंपनी लिमिटेड,चीन

झ. मैसर्स चान्झोऊ रेडसन इलेक्ट्रिकल्स अप्लायन्सेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, चीन

ञ. मैसर्स झेजिंग सनलाइट ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन

ट. मैसर्स लिन्ऐन्लिटुओ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन

ठ. मैसर्स लिन ऐन एडिशन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन

ड. मैसर्स जिआंग्सु शाइनी लाइटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस कंपनी लिमिटैड, चीन

ढ. मैसर्स फुझोऊ रीयाह लाइटिंग कंपनी लिमिटेड, चीन

ण. मैसर्स हांगझोऊ जिंग्जी इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, चीन

त. मैसर्स हांगझोऊ इकोलाइट इंडस्ट्रियल कंपनी, चीन

थ. मैसर्स झांगशान जिआंग्शिअन लाइटिंग कंपनी, चीन

द. मैसर्स झांगशान लांग्डी लाइटिंग एस एंड टी कंपनी लिमिटेड, चीन

ध. मैसर्स यिपु लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, चीन

न. मैसर्स लिनान ओउबो इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग कंपनी लिमिटेड, चीन

प. मैसर्स फेशान शुन्डेसान्हन लाइटिंग कंपनी लिमिटेड, चीन (गुआंगडांग)

फ. मैसर्स फिलिप्स एंड यामिग लाइटिंग कंपनी लिमिटेड, चीन

ब. मैसर्स गुआन्घोऊ फ्लैश लाइट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, चीन

(x) चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित निर्यातकों से निर्यातक प्रश्नावली और एमईटी प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ :

क. मैसर्स ओसराम चीन लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण.

ख. मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड ("ओपैक'), हांगकांग

(xi) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए प्रेषित की :

क. मैसर्स समय इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड

ख. मैसर्स विप्रो लिमिटेड

ग. मैसर्स एच क्यू लैम्प्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी

घ. मैसर्स डेल्टा इलेक्ट्रानिक्स

ङ. मैसर्स सोनेरा टाइम एंड लाइटिंग मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी

च. मैसर्स अजन्ता मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड

(xii) भारत में संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता से कोई भी आयातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(xiii) प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 07 अक्तूबर, 2014 को एक मौखिक सुनवाई का आयोजन किया जिसे घरेलू उद्योग और उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभागिता की गई। घरेलू उद्योग ने ही इस मौखिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे, उसे यह सुझाव दिया गया कि वह मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण भी करें। चूंकि इस सुनवाई में कोई भी निर्यातक अथवा आयातक मौजूद नहीं था और न ही उनमें से किसी ने कोई प्रस्तुतिकरण किया, इसलिए आवेदक ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों/सूचना का कोई प्रति-प्रत्युत्तर दायर नहीं किया। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता से प्राप्त प्रस्तुतिकरणों पर समुचित रूप से विचार किया है।

(xiv) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका प्रकटन नहीं किया गया। जहां कहीं संभव हुआ वहां हितबद्ध पक्षकारों को यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करे और उसे नियमानुसार प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक फाइल में रखा गया।

(xv) आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई।

(xvi) घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसको बनाने तथा उसकी बिक्री करने की लागत के आधार पर गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण यह सुनिश्चयन करने के लिए किया गया कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xvii) यह जांच 1 अप्रैल, 2012 – 31 मार्च, 2013 (जांच की अवधि) तक के लिए की गई। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में जांच की प्रवृत्तियों में अप्रैल, 2009 – मार्च, 2010, अप्रैल, 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल 2011 – मार्च, 2012 तथा जांच की अवधि को भी शामिल किया गया है।

(xviii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया।

(xix) याचिकाकर्ता ने इस याचिका में इम्पेक्स (गौण स्रोत) के अनुरूप आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने मौजूदा जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराए गए उक्त आंकड़ों पर प्रथम दृष्टया भरोसा किया है। जांच की शुरूआत के पश्चात वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदावार विवरण क्षति अवधि के लिए, जिसमें जांच की अवधि के विवरण भी शामिल हों, उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। डीजीसीआईएंडएस से आंकड़े प्राप्त किए गए और उनकी समुचित जांच की गई।

(xx) उन निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में माना गया है जिन्होंने प्राधिकारी को न तो कोई प्रत्युत्तर दिया है और न ही इस जांच से संगत कोई सूचना प्रस्तुत की है।

(xxi) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों एवं सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया।

(xxii) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान नहीं कराई है, अथवा आवश्यक सूचना तक अन्यथा पहुंच की मनाही की है अथवा जांच के पर्याप्त अवरोध उत्पन्न किया है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगकर्ता के रूप में मान लिया और यह जांच परिणाम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड किए है।

(xxiii) इस जांच परिणाम में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और प्राधिकारी द्वारा उसे नियमों के अंतर्गत वैसा ही माना गया है।

(xxiv) पूर्वोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस जांच परिणाम के लिए आवश्यक समझे गए तथ्यों/आधार पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 04 मई, 2015 को प्रकटन कर दिया गया और उन पर प्राप्त एवं प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई टिप्पणियों का इस अधिसूचना में समाधान कर दिया गया है।

(xxv) इस जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डालर = 54.65/-रुपया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं :

चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद "बैलास्ट या कंट्रोल गियर या चोक के बिना या युक्त, असेम्बल किए गए अथवा असेम्बल न किए गए, पूर्णतया नाक्ड डाउन या अर्द्ध-नाक्ड डाउन परिस्थितियों में, काम्पैक्ट फ्लूअरेसॅन्ट लैम्प्स हैं, जिनमें बैलास्ट या चोक या कंट्रोल गियर के बिना, लैम्प बेस युक्त या लैम्प बेस रहित सील्ड ट्यूबुलर शेल शामिल हैं" जिन्हें सीएफएल के नाम से भी जाना जाता है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. इस विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तुओं के संबंध में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी या प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी द्वारा यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद के अभिप्राय: एवं तर्क के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है। प्राधिकारी द्वारा जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "बैलास्ट या कंट्रोल गियर या चोक के बिना या युक्त, असेम्बल किए गए अथवा असेम्बल न किए गए, पूर्णतया नाक्ड डाउन या अर्द्ध-नाक्ड डाउन परिस्थितियों में, काम्पैक्ट फ्लूअरेसॅन्ट लैम्प्स हैं, जिनमें बैलास्ट या चोक या कंट्रोल गियर के बिना, लैम्प बेस युक्त या लैम्प बेस रहित सील्ड ट्यूबुलर शेल शामिल हैं"। परिष्कृत काम्पैक्ट फ्लुअरेसॅन्ट लैम्प्स निम्नलिखित हैं :

(i) अंत:निर्मित बैलास्ट या कंट्रोल गियर्स या चोक युक्त समन्वित टाइप के, और

(ii) अंत:निर्मित बैलास्ट या कंट्रोल गियर्स या चोक के बिना समन्वित टाइप के।"

8. विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जो मूल जांच में था। तथापि, वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 26 वाट तक रहेगा। इस उत्पाद को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 85 के अंतर्गत उप-शीर्षक संख्या 8539 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान याचिका के दायरे पर किसी भी रूप् में बाध्यकारी नहीं है।

9. समान वस्तु के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान है :

"समान वस्तु" का आशय उस वस्तु से जो भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु के सभी तरह से समान या समरूप हो या ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी तरह से समान न हो फिर भी उसके गुणधर्म जांचाधीन वस्तु के निकटतम समान हों।

10. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और भारत में आयातित विचाराधीन उत्पाद समान उत्पाद हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आवेदनकर्ता के उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है और यह दानों कतिपय अभिलक्षणों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय है। दोनों ही वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई भारी अंतर नहीं है।

11. प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से पुन: यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान उत्पाद है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय है। पुन: यह नोट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पिछली जांच में विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के मुद्दे की जांच की है, जिसपर भरोसा किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा संबद्ध देश से आयातित वस्तु नियमावली के आशय के अंतर्गत समान हैं। दोनों ही वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्तागण इन दोनों ही वस्तुओं का प्रयोग अंतनिर्मेय रूप से कर रहे हैं और वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय: एवं दायरे के अंतर्गत समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार

घरेलू उद्योग के विचार

12. घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित है :

(क) यह याचिका इलेक्ट्रिक लैम्प एंड काम्पोनेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे एतद्पश्चात याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोसिएशन/एल्कोमा कहा गया है) द्वारा दायर की गई है जो भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करती है।

(ख) मैसर्स क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और मैसर्स एनटीएल इलेक्ट्रानिक्स इंडिया लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात याचिकाकर्ता कंपनियां कहा गया है) इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक है जिन्होंने चीन जन.गण. से सीएफएल के आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने और पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा का संवर्धन करने के लिए संगत सूचना प्रदान कराई है।

(ग) मैसर्स सेंजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स स्टारलाइट लाइटिंग लिमिटेड, मैसर्स डिक्सन टेक्नालोजीज इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, मैसर्स हैलोनिक्स टेक्नालोजीज लिमिटेड, मैसर्स एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स फिलप्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने वर्तमान याचिका का समर्थन किया है।

(घ) मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने चीन स्थित अपनी संबद्ध कंपनियों से इस विचाराधीन उत्पाद के *** नगों की मात्रा का आयात किया है।

(ङ) नियम 2(ख) में 01 दिसम्बर, 2011 को सुधार किया गया और इस नियम से शब्द "केवल" का विलोपन स्पष्टत: यह विनिर्दिष्ट करने के लिए कर दिया गया कि ऐसे मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी को स्वविवेक का प्रयोग करने का अधिकार होता है। यह तथ्य कि नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष सोडा ऐश मामले में और कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष मेलामाइन से संबंधित मामले में सुस्पष्ट हो चुका है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. किसी भी उत्पादक/निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

"घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु के विनिर्माण या उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रूप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता हो, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हो पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हो तो ऐसे मामलों में वाक्यांष "घरेलू उद्योग" को केवल देश उत्पादकों के रूप में माना जाएगा।

15. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में आवेदनपत्र संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों की ओर से इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कम्पोनेन्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है। हैवल्स इंडिया लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड, क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड और ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक के रूप में, इन्होंने चीन जन.गण. से सीएफएल के आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने और पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा का संवर्धन करने के लिए संगत सूचना प्रदान कराई है।

16. यह उपपादित किया गया कि मैसर्स एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड ने इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के अन्य उत्पादकों के लिए ही किया है। इस कंपनी ने अपने माल की बिक्री बाजार में नहीं की है। चूंकि इस कंपनी ने अपने उत्पाद की बिक्री इस विचाराधीन उत्पाद के अन्य भारतीय उत्पादकों को की है, इसलिए एक बार पुन: मैसर्स एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक के उत्पादन की गणना भारतीय उत्पादन के अंतर्गत करना उपयुक्त नहीं है। अत:, एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना गया है।

17. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस विचाराधीन उत्पाद का जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान आयात किया है। मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह आयात अपने निजी उत्पादन के संबंध में किए गए थे। भारत में इस उत्पाद के आयात और उसकी मांग निम्नवत हैं :

पैरामीटर	मात्रा नगों में
संबद्ध देश से आयात	21,90,504
अन्य देशों से आयात	1,18,682
संबद्ध देश से मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कुल आयात	*****
सभी स्रोतों से भारत को निर्यात	23,09,186
मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उत्पादन	******
भारत में मांग	34,10,49,998
मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का निम्नलिखित के संबंध में आयातों का प्रतिशत हिस्सा	
संबद्ध देश से भारत को आयात	10-20 प्रतिशत
मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उत्पादन	2 प्रतिशत से कम
भारत में मांग	1 प्रतिशत से कम

18. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण., साझी शेयर धारिता के कारण सिस्टर कंपनियां हैं कि मैसर्स आसेराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस संबद्ध वस्तु का मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. से मूल जांच की विचाराधीन अवधि के दौरान आयात किया था। तथापि, मूल जांच में मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चीन से कुल आयातों में केवल 0.5 प्रतिशत हिस्सा था। वर्तमान जांच की जांचाधीन अवधि में मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चीन जन.गण. से इस संबद्ध वस्तु के कुल आयातों में भारी हिस्सेदारी है जो लगभग *** प्रतिशत के बराबर है। मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आयात हिस्से के इस भारी स्तर के मद्देनजर प्राधिकारी मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल करना उपयुक्त नहीं समझते हैं। अत:, मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखना गया है। इस याचिका के एक समर्थनकर्ता मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड ने उत्तरवर्ती रूप से क्षति सूचना प्रदान कराई है और इसलिए उन्हें घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया गया है।

19. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स हैवल्स इंडिया लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड, क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड और मैसर्स फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने क्षति सूचना प्रदान कराई है, उनका इस जांच की अवधि में कुल उत्पादन 44.45 प्रतिशत के आसपास बैठता है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त उत्पादकों का अपनी समर्थनकर्ता कंपनियों अर्थात सेंजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टार लाइट लाइटिंग लिमिटेड, डिक्सन टेक्नालोजीज इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, हैलोनिक्स टेक्नालोजीज लिमिटेड और एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 60.66 प्रतिशत उत्पादन बनता है। उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि मैसर्स हैवल्स इंडिया लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड, क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड और मैसर्स फिलिप्स इलेक्ट्रानिक्स इंडिया लिमिटेड नियम 2(ख) के अनुसार इस संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में उत्पादक हैं।

घ. पाटन मार्जिन, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा की क्रियापद्धति एवं निर्धारण

बाजार अर्थव्यवस्था का दावा

20. प्राधिकारी चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरूआत नोटिस का प्रत्युत्तर देने और उनको बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का निर्धारण करने के लिए संगत सूचना प्रदान करने का सुझाव दिया था। प्राधिकारी ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार सभी ज्ञात निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की प्रतियां प्रेषित कीं। प्राधिकारी ने चीन की सरकार से भी अनुरोध किया कि वह अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने का सुझाव दें। यथा-संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन.गण. के निर्यातक पैरा 8 के उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्धारित मानदंडों के आधार पर सूचना एवं पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और स्वयं को उसके विपरीत सिद्ध करते हैं। चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा-उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें जिससे कि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करने में सक्षम हो सकें कि क्या :

(i) चीन जन.गण. में संबंधित फार्मों की कीमत, लागत और कच्चे माल सहित इनपुट, प्रविधि एवं श्रम की लागत, आउटपुट, बिक्री और निवेश से संबंधित निर्णय मांग एवं आपूर्ति को प्रतिक्षिप्त करने वाले बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में किए जाते हैं और उनमें इस संबंध में उनके देश का कोई भारी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और क्या बड़े इनपुटों की लागत बाजार मूल्यों का प्रतिबिम्बिन करती है;

(ii) इन फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विगतवर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली द्वारा खासकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास बट्टे खाते में डाले गए अन्य, विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के संबंध में की गई भारी विकृतियों के अध्यधीन होती है;

(iii) यह फर्में दिवालियापन और संपत्ति विधियों के अध्यधीन हैं जो इन फर्मों को प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी प्रदान करती हैं;

(iv) विनिमय दर संपरिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है;

21. मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (ओसीएल) और उसके सहयोग निर्यातक मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड (ओएपैक) ने इस प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दिया है।

घरेलू उद्योग के विचार

22. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

क. संबद्ध देश को गैर-अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानना चाहिए। चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 एवं 8 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए।

ख. कोई भी सीएफएल चोक युक्त अथवा बिना चोक युक्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यह वह उत्पाद है जिनकी वाटेज अलग-अलग होती हैं। विभिन्न वाटेज युक्त इस विचाराधीन उत्पाद की लागत एवं कीमत में भारी अंतर के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न वाट्स के लिए पृथक सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

ग. निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में सभी ज्ञात आयातों की भारी औसत कीमत के रूप में उपयुक्त समायोजन करने के पश्चात किया गया है।

घ. परिकलित पाटन मार्जिन पर्याप्त है।

हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. पाटन मार्जिन के संबंध में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही कोई प्रस्तुतिकरण किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

24. जांच शुरूआत के स्तर पर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में प्रकल्पना करते हुए कार्रवाई की थी। जांच शुरूआत के समय प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरूआत नोटिस का प्रत्युत्तर देने और उनके लिए बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का निर्धारण करने हेतु संगत सूचना प्रदान कराने का सुझाव दिया था। प्राधिकारी ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में उल्लिखित मानदंड के अनुसार सभी उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की प्रतियां प्रेषित की थीं। प्राधिकारी ने चीन की सरकार से भी अनुरोध किया था कि वह संगत सूचना प्रदान करने के लिए अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें। मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग कंपनी लिमिटेड ने अपने संबद्ध निर्यातक – मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड हांगकांग (ओाएपैक) के साथ, इस प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दिया था।

25. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण., इस संबद्ध वस्तु के उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान इस संबद्ध वस्तु का निर्यात मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से किया था। उत्पादक और निर्यातक दोनों ने ही बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा करते हुए प्रश्नावली प्रत्युत्तर के साथ एमईटी प्रत्युत्तर दायर किया है। प्राधिकारी पुन: यह नोट करते हैं कि मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. द्वारा मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड, हांगकांग के जरिए किए गए निर्यात अनन्यत: मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए ही किए गए थे। तथापि, मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसने इस संबद्ध वस्तु का आयात किया था, ने आयातक के रूप में कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है, और इसलिए, प्राधिकारी, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला संबंधी सूचना के अभाव के मद्देनजर यह सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच किए गए सौदे नजदीकी सौदे हैं। इसलिए प्राधिकारी मैसर्स चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. द्वारा दायर प्रत्युत्तर को फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य का पृथक रूप से मूल्यांकन करने उनको पृथक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान करने के लिए स्वीकार करना उपयुक्त नहीं समझते हैं। इसलिए प्राधिकारी ने मैसर्स ओसराम चाइन लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने और फैक्टरी बाह्य कीमत का मूल्यांकन करने के लिए भी वही क्रियापद्धति अपनाई है जो प्रत्युत्तर न देने वाले अन्य उत्पादकों/निर्यातकों केलिए अपनाई गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

26. 9क (1) (ग) किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का आशय :

(i) *उपनियम (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश अथवा भू-भाग में खपत के उद्देश्य से व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत है; अथवा*

(ii) निर्यातक देश या भूभाग की घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में जब उस सामान समान वस्तु की बिक्री न होती हो अथवा निर्यातक देश या भू-भाग की घरेलू बाजार में विशिष्ट बाजार परिस्थितियों अथवा बिक्री की न्यून मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियां समुचित तुलना करने की अनुमति न देती हों तो उस वस्तु का सामान्य मूल्य या तो-

(क) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा-निर्धारित उस समान वस्तु की वह तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत होगी जिस पर उसका निर्यात किसी निर्यातकर्ता देश या (भू-भाग से) किसी उपयुक्त तृतीय देश को किया जाता है; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री या सामान्य लागत तथा लाभ के लिए किए गए अन्य संवर्धनों सहित उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत होती है;

बशर्ते कि उद्गम के देश के अलावा किसी अन्य देश से उक्त समान वस्तु का आयात होने और जहां उक्त वस्तु का निर्यात के देश के जरिए केवल यानान्तरण किया गया हो अथवा उक्त वस्तु का निर्यात के देश में उत्पादन न किया जाता हो अथवा निर्यात के देश में उक्त वस्तु की कोई तुलनीय कीमत न हो तो सामान्य मूल्य निर्धारण उद्गम के देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

सामान्य मूल्य – चीन जन.गण. के सभी उत्पादक/निर्यातक

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरूआत नोटिस के प्रत्युत्तर (मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. जिनका प्रत्युत्तर प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया) के परिणामस्वरूप संबद्ध देश से इस संबद्ध वस्तु के किसी भी अन्य उत्पादक एवं निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और न ही गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रकल्पना का खंडन किया है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और चीन की प्रतिवादी कंपनियों द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का खंडन न किए जाने के अभाव में प्राधिकारी चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करना अधिक उपयुक्त समझते हैं जिसमें निम्नवत प्रावधान किया गया है :

"गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में कीमत अथवा विनिर्मित मूल्य, अथवा ऐसे तृतीय देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर किया जायेगा अथवा जहां संभव न हो वहां किसी अन्य तर्क संगत आधार पर, भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप में संदत्त अथवा प्रदत्त कीमत सहित विधिवत समायोजित कीमत जिसमें तर्क संगत लाभ मार्जिन को शामिल किया जा सके, के आधार पर किया जायेगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तर्क संगत ढंग से, संबधित देश और प्रश्नाधीन उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का चयन किया जायेगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भरोसेमंद सूचना पर समुचित ध्यान दिया जायेगा। निश्चित समयसीमा के अंदर, जहां आवश्यक हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के बारे में किसी समान मामले में की गई जांच को भी ध्यान रखा जायेगा। जांचकर्ता पक्षकारों को बिना किसी अनुचित विलम्ब के बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के उपर्युक्त चयन के बारे में सूचना दी जायेगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए तर्क संगत समय प्रदान किया जायेगा।"

28. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ अनुबंध-1 के पैरा 7 को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। चीन जन.गण. से भारत को आयातित संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य की संरचना घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के अनुसार प्रमुख कच्चे माल की खपत, प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, संपरिवर्तन लागत, ब्याज, एसजीए आदि पर घरेलू उद्योग के लिए सभी स्तरों पर अनुमत और उत्पादन लागत पर तर्कसंगत लाभ पर विचार करते हुए की गई है।

29. प्राधिकारी ने इस उत्पाद के वाटेज के प्रत्येक ग्रुप के लिए एकीकृत चोक युक्त सीएफएल और एकीकृत चोक के बिना सीएफएल दोनों के लिए पृथक सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। औसत भारित संरचित सामान्य मूल्य *** डालर/प्रति नग निर्धारित किया गया है।

निर्यात कीमत – चीन जन.गण. के सभी उत्पादक/निर्यातक

30. भारित औसत फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत पर विचार जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की भारत में गौण स्रोत से उपलब्ध आयात कीमत के आधार पर किया गया है और इसमें याचिकाकर्ता द्वारा यथा दावाकृत एवं प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमत समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, कमीशन, प्रहस्तन प्रभार, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार को क्रमश: *** रुपए/प्रति नग, सीआईएफ का *** प्रतिशत, एफओबी का *** प्रतिशत, एप्प ओबी का *** प्रतिशत, एफओबी का *** प्रतिशत और एफओबी का *** प्रतिशत से संबंधित प्रति नग समायोजन के अनुरूप् संगत उपयुक्त समायोजन किया गया है। फैक्टरी बाह्य भारित औसत निर्यात कीमत *** डालर/प्रति नग निर्धारित की गई है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

31. आंकड़ों के उपर्युक्त विश्लेषण के मद्देनजर पाटन मार्जिन अधोलिखित तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार निर्धारित किया गया है।

विवरण	यूनिट	चीन जन.गण. के सभी उत्पादक/निर्यातक
सामान्य मूल्य	यूएस डालर/ प्रति नग	***
निर्यात कीमत	यूएस डालर/ प्रति नग	***
पाटन मार्जिन	यूएस डालर/ प्रति नग	***
पाटन मार्जिन	%	49%
पाटन मार्जिन – रेंज	रेंज	45-55

क्षति निर्धारण के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति और क्षति एवं कारणात्मक संबंधों की जांच

ड. क्षति निर्धारण एवं क्षति एवं कारणात्मक संबंधों की जांच

घरेलू उद्योग के विचार

32. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि :

क. इस विचाराधीन उत्पाद का चीन से निरंतर पाटन हो रहा है।

ख. यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देश से इस विचाराधीन उत्पाद का और भी अधिक पाटन होने की संभावना है।

ग. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

घ. विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है।

ङ. आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में कमी आई है। यद्यपि चीन के सीमाशुल्क आंकड़े आयातों में गिरावट प्रदर्शित करते हैं तथापि चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा इस समय विचार किए गए आयातों की मात्रा की तुलना में बहुत अधिक है।

च. आयात घरेलू कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं और इस तरह निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

छ. आयात घरेलू कीमतों का अधोरदन कर रहे है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने का प्रभाव बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी निग्रहणकारी प्रभाव होगा।

ज. शुल्क की अवधि के दौरान, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

33. क्षति के संबंध में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों में न तो कोई टिप्पणी की है और न ही कोई प्रस्तुतिकरण किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

34. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देश से होने वाले आयातों के कारण पाटन एवं क्षति की संभावना के पहलू की जांच के संबंध में कार्रवाई करने से पहले घरेलू उद्योग को मौजूदा क्षति, यदि कोई, की जांच की है।

35. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव दोनों की वास्तविक जांच करने का प्रावधान है। पाटित आयातों के प्रभाव की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह परीक्षण करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत से संगत रूप से पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटित अयातों का कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह परीक्षण करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत अधोरदन किया गया है, अथवा इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का अन्यथा भारी मात्रा में निग्रहण हो रहा है, अथवा वे कीमतों को बढ़ने से रोक रही है, जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में हुई होती।

36. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) निम्नलिखित उल्लेख है:-

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक तथ्यों तथा उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अन्य सभी कारकों जिसमें बिक्री, लाभ, आउट-पुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में प्राकृतिक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले तथ्यों, पाटन के मार्जिन की वास्तविक मात्रा तथा नकदी प्रवाह पर संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूची, रोजगार, वेतनवृद्धि, पूंजीनिवेश उगाहने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाना शामिल होगा"।

37. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उन सभी सूचकांकों की जांच की गई जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन मार्जिन एवं पाटन की मात्रा। इन सभी पर पूर्वोक्त नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

38. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक उसका प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तब तक वह ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा बशर्ते कि, केंद्रीय सरकार का किसी समीक्षा में यह विचार है कि इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो यह समय-समय पर, इस अधिरोपण को पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकती है और यह बढ़ी हुई अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी।

39. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने ऐसे सूचकांकों पर विचार किया है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री प्रमात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन की मात्रा एवं पाटन मार्जिन। इन सब पर पूर्वोक्त नियमावली के अनुबंध-II (iv) के अनुसार विचार किया गया।

च. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

आयात मात्रा और आयातों का बाजार हिस्सा

क. मांग और बाजार हिस्सा

40. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में इस उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की कुल बिक्री और सभी स्रोतों से योग के रूप में परिभाषित किया है। इस तरह आकलित मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

(i) मांग

आंकड़े (संख्या '000 में)

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13 (जांच की अवधि)**
घरेलू उद्योग की बिक्री	संख्या ('000)	88,514	1,12,462	1,21,806	1,32,553
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	127	138	150
समर्थनकर्ताओं की बिक्री	संख्या ('000)	45,906	67,755	81,670	76,660
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	148	178	167
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	संख्या ('000)	82,427	1,05,292	1,08,545	1,16,230
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	128	132	141
चीन से आयात	संख्या ('000)	4,621	1,946	1,233	2,191
अन्य देशों से आयात	संख्या ('000)	3,185	645	82	119
मांग/खपत	संख्या ('000)	2,24,654	2,88,100	3,13,336	3,27,752

41. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद की मांग ने क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। जांच की अवधि के दौरान इसकी मांग में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है

(ii) मांग में बाजार हिस्सा

42. भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग/खपत में संबद्ध देश तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आयातों का बाजार हिस्सा अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

मांग में बाजार हिस्सा	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
घरेलू उद्योग	%	39.40%	39.04%	38.87%	40.44%
समर्थनकारी	%	20.43%	23.52%	26.06%	23.39%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	36.69%	36.55%	34.64%	35.46%
चीन – संबद्ध देश	%	2.06%	0.68%	0.39%	0.67%
अन्य आयात	%	1.42%	0.22%	0.03%	0.04%

43. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जता है संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क के कारण वर्ष 2011-12 तक गिरावट आई और फिर वर्ष 2012-13 में इसमें एक बार पुन: वृद्धि हुई।

(iii) आयात मात्रा एवं बाजार हिस्सा

44. चीन जन.गण. तथा अन्य देशों से आयात मात्रा निम्नलिखित है :

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
मात्रा					
संबद्ध देश – चीन	संख्या ('000)	4,621	1,946	1,233	2,191
अन्य	संख्या ('000)	3,185	645	82	119
कुल आयात	संख्या ('000)	7,807	2,591	1,315	2,309
आयातों में बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश – चीन	%	59.20%	75.10%	93.78%	94.86%
अन्य	%	40.80%	24.90%	6.22%	5.14%
कुल आयात	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

45. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि आयातों में वर्ष 2011-12 तक गिरावट आई और फिर वर्ष 2012-13 में इसमें वृद्धि हुई।

iv. उत्पादन खपत के संबंध में आयात

46. प्राधिकारी यह प्रेक्षण करते हैं कि चीन जन.गण. से आयातों में भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में गिरावट आई है, जैसा कि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
चीन	संख्या ('000)	4,621	1,946	1,233	2,191
कुल आयात	संख्या ('000)	7,807	2,591	1,315	2,309
कुल भारतीय उत्पादन	संख्या ('000)	2,25,786	2,90,814	3,12,433	3,29,240
कुल भारतीय खपत	संख्या ('000)	2,24,654	2,88,100	3,13,336	3,27,752
कुल आयातों के संबंध में आयात	%	59.20%	75.10%	93.78%	94.86%
उत्पादन के संबंध में आयात	%	2.05%	0.67%	0.39%	0.67%
खपत के संबंध में आयात	%	2.06%	0.68%	0.39%	0.67%

47. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वर्ष 2011-12 तक गिरावट आई और वर्ष 2012-13 में इसमें वृद्धि हुई। भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों की मात्रा बहुत कम है। चालू अवधि के दौरान आयातों की अल्प मात्रा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के कारण आई है।

v. पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव

48. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है, अथवा इन आयातों के प्रभाव से भारी मात्रा में कीमतों का निग्रहण होगा अथवा इससे कीमत में वृद्धि होने से निवारित किया जाएगा जिसमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण एवं घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की उतराई लागत से की गई है।

कीमत अधोरदन

49. कीमत अधोरदन का आकलन जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की भारत में घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में निर्यात कीमत से तुलना करके किया गया है। यह देखा जा सकता है कि आयातों की उतराई कीमत से की गई है जैसाकि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/संख्या	66.79	44.78	48.83	52.28
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	67	73	78
निवल बिक्री कीमत (औसत)	रुपए/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	105	111	120
कीमत अधोरदन	रुपए/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	589	595	662
कीमत अधोरदन (%)		5-15	35-45	30-40	35-45

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबंधित उत्पाद की भारित औसत आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत अधोरदन हुआ।

कीमत निग्रहण/अवमंदन

51. प्राधिकारी ने पुन: यह जांच की है कि क्या इन आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन हुआ या कीमतों में वृद्धि होने से निवारित किया गया जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुआ होता जैसा कि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/संख्या	66.79	44.78	48.83	52.28
बिक्री लागत	रुपए/संख्या	100	106	115	118
बिक्री कीमत	रुपए/संख्या	100	105	111	120

52. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आयातों की उतराई कीमत संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम रही है। आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत एवं बिक्री कीमत दोनों से कम रही है। अत:, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से बाजार में कीमत अवमंदन होने की संभावना है।

कीमत अधोविक्रयण

53. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत अधोविक्रयण क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। किसी भी गैर-क्षतिकारी कीमत का न तो निर्धारण किया गया और न ही कीमत अधोविक्रयण की सीमा पर पहुंचने के लिए उसकी तुलना संबद्ध वस्तु के उतराई मूल्य से की गई। जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पादके लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया गया है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि संबद्ध आयातों का उतराई मूल्य गैर-क्षतिकारी कीमत से कम था जैसाकि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/संख्या	***
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/संख्या	48.87
कीमत अधोविक्रयण मार्जिन	रुपए/संख्या	***
कीमत अधोविक्रयण मार्जिन	%	***
कीमत अधोविक्रयण मार्जिन %	रेंज	30-40

*उतराई कीमत एवं गैर-क्षतिकारी कीमत वाटेल-वार भारित औसत की तुलना के आधार पर होता है।

54. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी कीमत अधोविक्रयण प्रभाव हुआ है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटरों की जांच

55. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षा करता है कि क्षति के निर्धारण में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्ग्रस्त होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में पुन: यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों एवं संकेतकों की उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित मूल्यांकन शामिल होगी जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें शामिल है बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में संभावित एवं वास्तविक गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव मालसूची, रोजगार वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरामीटरों की जांच निम्नवत की गई है।

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग की बिक्री

56. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग उत्पाद और बिक्री मात्रा अधोलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
क्षमता	संख्या ('000)	1,87,720	2,02,444	2,08,144	2,39,944
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	108	111	128
उत्पादन	संख्या ('000)	1,02,004	1,26,748	1,33,133	1,46,344
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	124	131	143
क्षमता उपयोग	%	54%	63%	64%	61%
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	115	118	112
घरेलू उद्योग की बिक्री	संख्या ('000)	88,514	1,12,462	1,21,806	1,32,553
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	127	138	150
मांग	संख्या ('000)	2,24,654	2,88,100	3,13,336	3,27,752

57. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह प्रेक्षण किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में अपनी क्षमता में विस्तार किया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों ने क्षति अवधि में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।

ii. लाभ/हानि निवेश पर प्रतिलाभ

58. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अधोलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
लाभ/हानि – घरेलू	रुपए/यूनिट	100	72	31	155
लाभ/(हानि) – घरेलू	लाख रुपए	100	92	43	232
नकद लाभ – घरेलू	लाख रुपए	100	100	55	228
कर एवं ब्याज पूर्व लाभ – घरेलू	लाख रुपए	100	103	82	222
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ – एनएफए आधार पर – डीओएम	%	100	81	60	167

59. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के लाभ में 2011-12 तक कमी आई और फिर जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई। निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ ने भी लाभों के समान ही प्रवृत्ति प्रदर्शित की। इसलिए घरेलू उद्योग के निष्पादन में इस खाते में लाभ हुआ है।

iii. मालसूची

60. घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नवत रही है :

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
इति स्टॉक	संख्या ('000)	2,943	5,225	6,587	5,997

यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2011-12 तक वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। तथापि, जांच की अवधि के दौरान मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

iv. उत्पादकता

61. अधोलिखित तालिका से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता ने भी उत्पादन के समान ही प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	संख्या ('000)	100	109	128	127
प्रतिदिन उत्पादकता	संख्या ('000))	291	362	380	418

v. रोजगार एवं वेतन

62. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि में रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है जैसाकि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा संदत्त वेतन ने भी क्षति अवधि के दौरान संवृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है, इसमें जांच की अवधि में मामूली सी गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	100	114	102	113
वेतन	लाख रुपए	100	117	163	142

vi. पाटन की मात्रा

63. चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। विगत जांच में भी पाटन मार्जिन का स्तर बहुत महत्वपूर्ण पाया गया। वर्तमान जांच में सकारात्मक पाटन मार्जिन यह सिद्ध करता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, खासकर यह विचार करते हुए कि यह विचाराधीन उत्पाद शुल्क के बेंचमार्क स्वरूप को आकृष्ट कर रहा है, तो पाटन की संभावना बनी रहेगी।

vii. विकास

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का विकास, बिक्री उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में सकारात्मक है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क उनकी संबद्ध पाटित आयातों से रक्षा करती है।

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	24%	5%	10%
क्षमता उपयोग	%	-	8%	1%	-3%
घरेलू बिक्री	%	-	27%	8%	9%
मालसूची	%	-	78%	26%	-9%
लाभ/नहीं	%	-	-28%	-57%	395%
निवेश पर प्रतिलाभ	%	-	-3%	-3%	18%

viii. पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता

65. यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद के संबंध में अतिरिक्त पूंजी निवेश उगाहने की घरेलू उद्योग की क्षमता बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। घरेलू उद्योग ने इस अवधि के दौरान अपनी क्षमताओं का विस्तार किया, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होते हुए भी पूंजी निवेश उगाहने में सक्षम था।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

66. संबद्ध देश से आयात कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं; की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत एवं गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है, जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोरदन कीमत अधोविक्रयण कारित हो रहा है। अत: घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का उतराई मूल्य है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग जांच की अवधि के सहित संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बराबर रहा है और इसलिए यह घरेलू उद्योग की कीमतों को

प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं हो सकता है। अत: घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रधान कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों का उतराई मूल्य रहा है।

क्षति संबंधी निष्कर्ष

67. घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित तथ्यों एवं आंकड़ों का विश्लेषण करने और उसकी जांच करने के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों ने भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और खपत के संबंध में समग्र रूप से एवं संगत रूप से वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद के आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे थे। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया गया है कि यद्यपि इस उत्पाद की मांग में घरेलू बाजार से वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि में भी बढ़ती मांग के कारण संवर्धित मांग के अनुरूप ही वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के स्वरूप में अपने निष्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा। अत: घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण अपने निष्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा।

पाटन एवं क्षति की संभावना

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

68. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए :

(i) संबद्ध देश के निर्यातकों की क्षमता भारतीय मांग की तुलना में बहुत अधिक है। पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। विश्व में कुल सीएफएल उत्पादन का 80 प्रतिशत चीन में होता है।

(ii) चीन इस विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रमुख कच्चे माल का बड़ा आपूर्तिकर्ता है। चीन ट्रि बैंड फास्फर का प्रमुख प्रदायक है। वास्तव में, चीन से ट्रि बैंड फास्फर की आपूर्ति इतनी अधिक है कि चीन सरकार ने इस उतपाद पर भारी-भरकम निर्यात शुल्क अधिरोपित किया था जिससे सीएफएल के वैश्विक उत्पादक अप्रतिस्पर्धी हो जाए और चीन के उत्पादक सीएफएल की आपूर्ति करने वाले व्यावहारिक रूप से एकमात्र आपूर्तिकर्ता हो जाएं।

(iii) नई उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने अथवा क्षमताओं में श्रीवृद्धि करने के लिए अपेक्षित समय बहुत कम है। इसलिए, यदि चीन के उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए एक बाजार उपलब्ध हो जाए तो वे अपनी क्षमताओं में श्रीवृद्धि कर सकते हैं अथवा नई उत्पादन प्रणाली स्थापित कर सकते हैं। हमारे देश में इस विचाराधीन उत्पाद की भारी मांग चीन के उत्पादकों के लिए अति अल्प समय में अपनी क्षमताओं में विस्तार करने के लिए भारी आकर्षण हो सकता है।

(iv) विगत जांच में पाटन मार्जिन बहुत अधिक था।

(v) पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद घरेलू उद्योग का निष्पादन उप-इष्टतम रहा।

(vi) पाटनरोधी शुल्क के अभाव में, संबद्ध देश से आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन करेंगे।

(vii) संबद्ध विदेशी उत्पादकों के पास बेशी उत्पादन करने की भारी क्षमताएं हैं :

क्र.सं.	नाम	क्षमता/उत्पादन (नग में)
चीन		
1.	हांग झोऊ होप लाइटिंग अपलायन्सेस कंपनी	10 मिलियन/प्रति वर्ष
2.	लिन आन लिटुओ इलेक्ट्रानिक्स कंपनी लिमिटेड	1. 5 मिलियन/प्रति वर्ष
3.	लिन आन एडिशन इलेकट्रानिक्स कंपनी लिमिटेड	1.2 मिलियन/प्रति वर्ष
4.	जिआंग्सु शिनी लाइटिंग इलेक्ट्रिकल अपलायन्सेस कंपनी लि.	8 मिलियन/प्रति माह
5.	फुझोऊ रीयाह लाइटिंग कंपनी लिमिटेड	3.6 मिलियन/प्रति वर्ष
6.	हांगझोऊ इकोलाइट इंडस्ट्रियल कंपनी	36 मिलियन/प्रति वर्ष
7.	हांग झोऊ जिंग्जी इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड	7.2 मिलियन/प्रति वर्ष
8.	झोंग्सान जिआंग्शियन लाइटिंग कंपनी	43.2 मिलियन/प्रति वर्ष
9.	झोंग्शान लांगडे लाइटिंग कंपनी	14.4 मिलियन/प्रति वर्ष

क्र.सं.	नाम	क्षमता/उत्पादन (नग में)
10	झोंग्डाझेंगगुआंग इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग फैक्टरी	3.6 मिलियन/प्रति वर्ष
11.	यिपु लाइटिंग इलेक्ट्रानिक कंपनी	10.2 मिलियन/प्रति वर्ष
12.	लिनानओउबो इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग कंपनी लिमिटेड	12 मिलियन/प्रति वर्ष
13.	जिआंगमेन झान्यु लाइटिंग कंपनी लिमिटेड	54 मिलियन/प्रति वर्ष
14.	हांगझोऊ टाइगर इलेक्ट्रान एंड इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड	36 मिलियन/प्रति वर्ष
15.	फोशान शुण्डे शान्हन लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड	6.6 मिलियन/प्रति वर्ष

x. चीन इस विचाराधीन उत्पाद का एक बहुत बड़ा निर्यातक है और चीन के उत्पादक अत्यधिक निर्यात केंद्रित है। निम्नलिखित तालिका संबद्ध देश में निर्यातकों के कुल कारोबार में निर्यात के प्रतिशत को दर्शाता है। विदेशी उत्पादक का मुख्य फोकस निर्यात पर है।

क्र.सं.	ज्ञात विदेशी उत्पादक/निर्यातक का नाम	निर्यातोन्मुखता प्रतिशत
चीन		
1.	जिआक्सिंग शेंगफेंग इलेक्ट्रानिक्स कंपनी लिमिटेड	95
2.	लिन आन लिटुओ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड	91-100
3.	लिन आन एडिशन इलेकट्रानिक्स कंपनी लिमिटेड	71-80
4.	जिआंग्सु शिनी लाइटिंग इलेक्ट्रिकल अपलायन्सेस कंपनी लि.	91-100
5.	फुझोऊ रीयाह लाइटिंग कंपनी लिमिटेड	91-100
6.	हांगझोऊ इकोलाइट इंडस्ट्रियल कंपनी	91-100
7.	हांग झोऊ जिंग्जी इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड	81-90
8.	झोंग्सान जिआंग्शियन लाइटिंग कंपनी	71-80
9.	झोंग्शान लांगडे लाइटिंग कंपनी	61-70
10	झोंग्डाझेंगगुआंग इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग फैक्टरी	81-90
11.	यिपु लाइटिंग इलेक्ट्रानिक कंपनी	81-90
12.	लिनानओउबो इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग कंपनी लिमिटेड	91-100
13.	जिआंगमेन झान्यु लाइटिंग कंपनी लिमिटेड	81-90
14.	हांगझोऊ टाइगर इलेक्ट्रान एंड इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड	91-100
15.	फोशान शुण्डे शान्हन लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड	61-70

xi. आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से पर्याप्तत: कम है। अत:, यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है और यदि घरेलू उद्योग अपनी आयात कीमतों पर बिक्री करने का चयन करता है तो घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा हुआ।

xii. संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों ने पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के पश्चात भी पाटित कीमतों पर अपने माल का निर्यात जारी रखा। यह विचार करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने से चीन जन.गण. से पाटन में तीव्रता नहीं आएगी।

xiii. पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में इस उत्पाद का और अधिक तीव्रता से पाटन होने की संभावना है और इससे घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन होगा।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

69. किसी भी उत्पादक/निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

70. मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (ओसीएल) को छोड़कर अन्य किसी ने भी निर्दिष्ट प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना चीन में भारी संख्या में उत्पादकों की मौजूदगी दर्शाती है। ओसराम द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा भारत में कुल आयातों का लगभग 20 प्रतिशत ही है और यह मात्रा चीन में अनुमानित उत्पादन की केवल 0.12 प्रतिशत है। अत:, मैसर्स ओसीएल द्वारा किए गए निर्यातों की प्रमात्रा के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन एवं क्षति की मात्रा कितनी होगी।

71. वर्तमान समीक्षा चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का सतत अधिरोपण अधिपत्रित है। उन्हें यह जांच करना भी अपेक्षित होता है कि क्या अधिरोपित शुल्क क्षतिकारी पाटन का उपशमन करने के आशयित लक्ष्य को पूरा कर रहा है। वर्तमान जांच में पाटित आयात लगातार हो रहे है। मूल जांच तथा वर्तमान जांच दोनों में पाटन मार्जिन सकारात्मक है जो स्पष्टत: यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तब भी पाटन मार्जिन सकारात्मक ही बने रहने की संभावना है। जहां तक इस संबद्ध वस्तु की मांग और कीमत का संबंध है, भारतीय बाजार में बाजार परिस्थितियां अनुकूल हैं। प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण मौजूद है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन और अधिक तीव्र होने की संभावना है। वस्तुत:, पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बाबजूद संबद्ध देश भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन करने में सक्षम है। निम्नलिखित विश्लेषण यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो पाटन की निरंतरता बने रहने/पाटन और अधिक तीव्र होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

i. मौजूदा एवं पिछले पाटन मार्जिन का स्तर

72. मूल जांच तथा वर्तमान जांच दोनों में पाटन मार्जिन का स्तर बहुत अधिक है। यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन मार्जिन में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

ii. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

73. वह कीमत जिस पर चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया जा रहा है पाटन की निरंतरता/तीव्रता की संभावना की संकेतक है। मौजूदा स्तर पर भारत में आयातों की उतराई कीमत पर जांच की अवधि के दौरान कीमत अधोरदन सकारात्मक है। इसके अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने से इस कीमत अधोरदन में और भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है। चीन के उत्पादकों को भारतीय कीमतें बहुत अधिक आकर्षक लगेंगी जिससे पाटित कीमतों पर भारत को उनका निर्यात तीव्र होगा तथा इस बात की भारी संभावना है कि भारतीय उपभोक्ता गण चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों का भारी संख्या में आश्रय लेने लगेंगे।

iii. चीन के उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता

74. उपलब्ध सूचना से यह स्पष्ट है कि चीन के उत्पादक/निर्यातक बहुत अधिक निर्यातोन्मुख है। भारत में इस संबद्ध वस्तु के लिए उच्च मांग ओर अनुकूल बाजार परिस्थितियों और चीन के उत्पादकों की भारी उत्पादन क्षमता तथा उनकी निर्यात उन्मुखता पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के वापस ले लिया जाता है तो भारत में इस संबद्ध वस्तु की संपूर्ण मांग को चीन के उत्पादकों द्वारा पूरा किया जाने लगेगा।

iv. चीन की उच्च उत्पादन क्षमता

75. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार चीन में इस संबद्ध वस्तु के उत्पादकों के पास उत्पादन क्षमता कुल भारतीय मांग की तुलना में बहुत अधिक है। पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में और चीन की निर्यात उन्मुखता पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि चीन के उत्पादक संबद्ध वस्तु के उत्पादन में लगे भारतीय विनिर्माण सेक्टर का अधिक्रमण करने में सक्षम है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन का संपूर्ण विश्व में सीएफएल के उत्पादन में 80 प्रतिशत उत्पादन का आधिपत्य है और इस प्रकार यह इस विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है।

पाटन एवं क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

76. भारतीय सीमा शुल्क और चीन के सीमा शुल्क में रिपोर्ट की गई आयात मात्रा और आयात कीमत में अंतर, इससे पहले अधिरोपित किए गए शुल्क के स्वरूप, सकारात्मक पाटन मार्जिन, वर्तमान एवं मूल जांच में कीमत अधोरदन एवं क्षति मार्जिन, विश्व के कुल उत्पादन की तुलना में चीन के उत्पादकों के पास 80 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करने की क्षमता, चीन के उत्पादकों की भारी निर्यातोन्मुखता, प्रमुख कच्चे माल

पर वस्तुत: सामूहिक रूप से एवं संचयी रूप से पूर्ण नियंत्रण जैसे तथ्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के कारण संबद्ध देश से पाटित आयातें की मात्रा में कमी आई है। यदि यह आयात पाटित कीमतों पर किए जाते हैं, तब भी घरेलू उद्योग अपने निष्पादन सुधार करने में सक्षम होगा। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इस बात की पूर्ण संभावना है कि पाटित आयातों में पुन: वृद्धि होने लगेगी और यह घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर सकता है।

क्षति की मात्रा एवं क्षति मार्जिन

77. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित शर्तों के अनुसार यथानिर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की गैर-क्षतिकारी कीमत की जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के उतराई मूल्य से तुलना की गई है और इस तरह निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन निम्नलिखित है। यह नोट किया जाता है कि भारित औसत क्षति मार्जिन बहुत अधिक है।

विवरण	**यूनिट**	**चीन जन.गण. के सभी उत्पादक/निर्यातक**
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/संख्या	***
उतराई मूल्य	रुपए/संख्या	**48.87**
क्षति मार्जिन	रुपए/संख्या	***
क्षति मार्जिन	%	***
क्षति मार्जिन	रेंज	**30-40**

कारणात्मक संबंध

78. प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या अन्य ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं

सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों के कारण क्षति

79. प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या अन्य ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं

क. **तृतीय देशों से आयात :** यह नोट किया जाता है कि तृतीय देशों से आयात कीमत, चीन से हो रहे आयात कीमत की तुलना में बहुत अधिक है। अत:, यह वह मामला नहीं है जहां तृतीय देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर सकते हों।

ख. **खपत की प्रणाली में परिवर्तन :** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कोई परिवर्तन निर्दिष्ट प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं आया है।

ग. **घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं :** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच से यह प्रदर्शित नहीं हुआ कि प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

घ. **प्रौद्योगिकी विकास :** प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना और जांच से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि दावाकृत क्षति प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण हुई है।

ङ. **निर्यात निष्पादन :** चूंकि प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आकलन करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की कीमत एवं लाभप्रदता का घरेलू एवं विदेशी बाजारों में अलग-अलग निर्धारण किया है, इसलिए घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन संगत नहीं है।

च. **घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन :** प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति इस विचाराधीन उत्पाद के कारण है। याचिकाकर्ता कंपनियों ने अन्य उत्पादों के संबंध में किसी भी सूचना को शामिल नहीं किया है। इस प्रकार इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रदान कराई गई वित्तीय स्थिति स्पष्टत: घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बिक्री किए गए अन्य समान उत्पादों से संबंधित स्थिति दर्शाती है।

ii. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति प्रदर्शित नहीं करते हैं, तथापि, अधोलिखित प्राचल यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटित आयातों द्वारा क्षति होने की संभावना है :

क. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आयातों की उतराई कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है बल्कि वह घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और गैर-क्षतिकारी कीमत से भी कम है ।

ख. यदि उपभोक्तागण आयातित उत्पादों को पसंद करते हैं तो इसका आशय यह होगा कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की मांग कम हो जाएगी और चीन के उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी। अत:, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग की बाजार पर चीन का कब्जा कर लिए जाने की संभावना है ।

ग. यदि बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की मांग कम होगी तो घरेलू उद्योग की बिक्री में भी कमी आएगी।

घ. यदि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आ जाएगी तो इसका उत्पादन पर और उसके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अत: पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने का घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, घरेलू बिक्रियों, उत्पादन और क्षमता उपयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

ङ. यदि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने के पश्चात अपनी कीमतों को कम करके चीन से प्रतिस्पर्धा का प्रत्युत्तर देता है तो इसका अभिप्राय यह होगा कि इसका घरेलू उद्योग पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि घरेलू उद्योग चीन की कीमतों से तुलनीय कीमतों पर बिक्री करती है तो घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत भी अभिप्राप्त करने में सक्षम न हो और इस प्रकार उसे वित्तीय घाटा होगा, ऋणात्मक नकदी प्रवाह और निवेश पर ऋणात्मक प्रतिलाभ होगा ।

च. क्रेतागण अपने प्रापण का निर्धारण विदेशी उत्पादकों और घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की जा रही संगत कीमतों के आधार पर करते हैं। यदि विदेशी उत्पादकों द्वारा पेशकश की जा रही कीमतें न्यूनतर हैं तो क्रेतागण बढ़-चढ़कर विदेशी उत्पाद ही खरीदेंगे। वर्तमान मामले में यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देश के निर्यातक अपनी उच्च उत्पादन क्षमता और न्यून निर्यात कीमतों के कारण भारत में संबद्ध वस्तु की बाजार पर कब्जा कर लेंगे ।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किया गया विवरण प्रस्तुतिकरण

81. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

क. इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ।

ख. यदि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है ।

ग. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन बहुत अधिक है ।

घ. संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के कारण कई पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन सकारात्मक रहा है ।

ङ. विदेशी उत्पादकों ने पूर्ण प्रश्नावली प्रत्युत्तर देकर पूर्णतया सहयोग नहीं किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के लिए पूर्णतया न्यायोचित है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कई जांचों और नियमावलियों पर भरोसा किया है और उनका उल्लेख किया है ।

च. संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप में तथा भारत में संचयी आधार पर खपत एवं उत्पादन के संबंध में गिरावट आई है। तथापि, आयात यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन के बने रहने की संभावना है और क्या आयात कीमत इतनी कम है कि उससे पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में क्षति होगी ।

छ. संबद्ध देश से आयात घरेलू कीमतों का अधोरदन कर रहे है ।

ज. चूंकि आयातों की उतराई कीमत संपूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम रही है इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो आयातों से बाजार में कीमत निग्रहण होगा।

झ. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की समग्र विकास स्थिति में पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के कारण सुधार हुआ ।

ञ. प्राधिकारी ने सही ही यह धारित किया है कि मैसर्स एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड ने इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है परंतु उसने बाजार में इस सामग्री की बिक्री नहीं की है। चूंकि इस कंपनी ने अपने उत्पाद की बिक्री इस विचाराधीन उत्पाद के अन्य भारतीय उत्पादकों को की है, इसलिए एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन की गणना भारतीय उत्पादन के अंतर्गत करना उपयुक्त नहीं है ।

ट. मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. एक-दूसरे से संबद्ध कंपनियां हैं और मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस संबद्ध वस्तु का आयात मूल जांच की जांच अवधि और निर्णायक समीक्षा जांच की जांच अवधि दोनों ही जांच अवधियों में किया है। यद्यपि, मूल जांच में, मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आयात हिस्सा चीन से भारत को होने वाले कुल आयातों का 0.5 प्रतिशत था जबकि मौजूदा जांच की जांचावधि में मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का इस संबद्ध वस्तु के भारत में कुल आयातों का बड़ा हिस्सा माना गया है। याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि आयातों की अल्प मात्रा पर विचार करते हुए, ओसराम को, उनके द्वारा किए गए आयातों के बावजूद पात्र घरेलू उद्योग माना जाए।

ठ. इस याचिका के एक समर्थनकर्ता मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड ने तदुपरांत क्षति सूचना प्रदान की है और इसलिए इस कंपनी को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जा सकता है। प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण की समीक्षा करते समय याचिकाकर्ताओं ने यह महसूस किया कि डिक्सन के उत्पादन को वास्तव में दो बार गिन लिया गया है – एक बार समर्थनकर्ता कंपनी के रूप में डिक्सन का उत्पादन और दूसरी बार फिलिप्स के उत्पादन के रूप में। इसलिए क्षति सूचना प्रदान कराने वाली कंपनियों के शेयरों का निर्धारण करते समय डिक्सन के उत्पादन को पात्र घरेलू उत्पादन में शामिल किया जाना अपेक्षित नहीं है।

ड. प्राधिकारी ने यह सही ही धारित किया है कि मैसर्स हैवल्स इंडिया लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड, क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड और मैसर्स फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड जिन्होंने क्षति सूचना प्रदान की है वे जांच की अवधि में इस संबद्ध वस्तु का 44.45 प्रतिशत उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त उत्पादकों का अपनी समर्थनकर्ता कंपनियों अर्थात सेंजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टारलाइट लाइटिंग लिमिटेड, डिक्सन टेक्नालोजीज इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, हैलोनिक्स टेक्नालोजीज लिमिटेड एवं एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ कुल भारतीय उत्पादन में उक्त वस्तु के 60.66 प्रतिशत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। अत:, प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि मैसर्स हैवल्स इंडिया लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड, क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड और मैसर्स फिलिप्स इलेक्ट्रानिक्स इंडिया लिमिटेड, संबद्ध वस्तु के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

ढ. **गोपनीयता :** नियमों में ऐसी सूचना की गोपनीयता की अनुमति है जिसका प्रकटन प्रतिस्पर्धी को भारी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करेगा। याचिकाकर्ता ने केवल ऐसी सूचना का गोपनीय के रूप में दावा किया है जिसकी इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया और नियमों के अंतर्गत गोपनीयता की अनुमति है।

ण. **बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन :** प्राधिकारी ने यह धारित किया है कि सूचना के अभाव में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला स्थापित नहीं हो सकती है कि मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उत्पादन निकटस्थ उत्पादन नहीं है। हालांकि इसका समाधान तो ओसराम चाइना और ओसराम इंडिया को करना है, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी मामले में, वह कीमत जिस पर ओसराम चाइना ने इस उत्पाद का भारत को निर्यात किया है, ने ओसराम चाइना द्वारा शुरू किए गए निर्यातों और ओसराम इंडिया द्वारा किए गए आयातों ने भारी पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन की मौजूदगी सिद्ध की है।

प्राधिकारी ने मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. द्वारा फाइल प्रत्युत्तर को उनके लिए फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य का पृथक-पृथक मूल्यांकन करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान करने के लिए स्वीकार करना उपयुक्त नहीं माना है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की संरचना करने और फैक्टरी बाह्य कीमत का मूल्यांकन करने के लिए मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड चीन जन.गण. के लिए वही क्रियापद्धति अपनाई है जो अन्य गैर-प्रत्युत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अपनाई है।

याचिकाकर्ता ने पुन: यह उल्लेख किया है कि संबद्ध देश में कुल भारतीय मांग की तुलना में बहुत अधिक क्षमता है और इस विचाराधीन उत्पाद के कच्चे माल का वह प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। प्राधिकारी ने यह सही ही प्रतिपादित किया है कि चीन का संपूर्ण विश्व के सीएफएल के उत्पादन के 80 प्रतिशत पर कब्जा है और वस्तुत: वह इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित संवेदनशील कच्चे माल का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है।

प्राधिकारी ने सही ही यह उल्लेख किया गया कि वर्तमान मूल जांच में सकारात्मक पाटन मार्जिन, कीमत अधोरदन और क्षति मार्जिन, संपूर्ण विश्व के उत्पादन के 80 प्रतिशत की सीमा तक उत्पादन करने में चीन की भारी उत्पादन क्षमता, प्रमुख कच्चे माल पर संचयी रूप से एवं सामूहिक रूप से वस्तुत: संपूर्ण नियंत्रण यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

त. **क्षति की मात्रा एवं क्षति मार्जिन :** प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है। इस तरह निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की उतराई कीमत के साथ की है जो यह दर्शाता है कि क्षति मार्जिन विद्यमान है। यद्यपि प्रकटन विवरण भारी क्षति

मार्जिन की मौजूदगी दर्शाती है तथापि याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत की समीक्षा की जा सकती है क्योंकि यह घरेलू उद्योग के विधिसम्मत हितों की रक्षा करने के लिए बहुत कम है ।

थ. **नियत प्रमात्रा आधार पर शुल्क :** याचिकाकार्ताओं ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि पाटनरोधी शुल्क यूएसए में अभिव्यक्त नियत प्रमात्रा के रूप में पाटनरोधी शुल्क (शुल्क का नियत स्वरूप) जारी रहना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित विचार संगत है :

(i) इस मामले में विभिन्न वाट्स युक्त केवल एक उत्पाद है और प्राधिकारी ने विभिन्न उत्पाद प्रकारों की लागत और कीमत में भारी अंतर को सराहते हुए वाटेज वार तुलना की है। इन भारी अंतरों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में पाटनरोधी शुल्क की नियत प्रमात्रा की सिफारिश की जा सकती है। वर्तमान मामले के तथ्यों में शुल्क का बेंचमार्क प्ररूप अव्यवहार्य है ।

(ii) पाटनरोधी विधायन का सृजन पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार की सम्पुष्टता में और अनुरूप किया गया है, जो प्राधिकारी को स्पष्टत: अनुरोधित स्वरूप एवं ढंग में पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने को प्राधिकृत करती है।

(iii) भारी संख्या में की गई जांचों (15 वर्षों की अवधि में अब तक 300 से अधिक जांचों का आयोजन किया गया) से यह अनुभव हुआ कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना से संबंधित शिकायतें भारी संख्या में उद्योगों के स्पेक्ट्रम द्वारा की गई है।

(iv) सीमा शुल्क पत्तन प्राधिकारियों के पास उस तंत्र का अभाव होता है जिससे वह आयातक द्वारा रिपोर्ट की गई आयात कीमत की परिशुद्धता सुनिश्चित कर सकें। पत्तन प्राधिकारियों के लिए न तो यह व्यवहार्य है और न ही अर्थक्षम कि वे आयात कीमतों का सत्यापन करें।

(v) शुल्क का अधिरोपण ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए जहां वह व्यर्थ न जाए।

(vi) अधोलिखित मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश में सेस्टैट द्वारा इस आधार पर संशोधन किए गए कि शुल्क का स्वरूप उचित नहीं है :

- कोरिया से एनबीआर के मामले में माननीय सेस्टैट ने एक निर्यातक मैसर्स कुम्हो पेट्रोकैमिकल्स कंपनी लिमिटेड [2004(170) ईएलटी 274] द्वारा दायर एक अपील में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित नियत पाटन पाटनरोधी शुल्क में परिवर्तन करके उसे परिवर्तित पाटनरोधी शुल्क कर दिया।
- मेटकोक के मामले में सेस्टैट ने अपने निर्णय 2000(116) ईएलटी 67 के तहत परिवर्तनीय पाटनरोधी शुल्क में परिवर्तन करके उसे नियत पाटनरोधी शुल्क कर दिया।
- विट्रीफाइड टाइल्स के मामले में सेस्टैट ने नियत प्रमात्रा में शुल्क का अधिरोपण करने संबंधी निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय की संपुष्टि की है।

उपर्युक्त के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वह वर्तमान मामले में शुल्क की नियत प्रमात्रा की संस्तुति करें।

द. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि शुल्क का अधिरोपण यूएस डालर के रूप में किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इसकी मूल जांच में और कई अन्य जांचों में शुल्क की अभिव्यक्ति यूएस डालर के रूप में पहले ही कर रखी है। हम वर्तमान मामले में भी अवमूल्यन हुआ है और इसलिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की अभिव्यक्ति यूएस डालर के रूप में की जा सकती है।

82. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण – प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल ओसराम द्वारा ही प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण किया गया है। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है। ओसराम द्वारा की गई टिप्पणियां संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

क. मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांगकांग के प्रत्युत्तर को अस्वीकार करने और उन्हें असहयोगकर्ता निर्यातक के रूप में मानने का प्राधिकारी का प्रस्ताव सही नहीं है।

ख. प्राधिकारी के पास मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड हांगकांग द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर में स्पष्टत: यह उल्लेख है कि "जांच की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा बेचे गए सभी संबद्ध उत्पाद निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी कार्रवाई में यथा-अभिज्ञात विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत आते हैं। ओसराम एशिया पैसिफिक इस उत्पाद की खरीद ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड एवं ओसराम कोरिया कंपनी लिमिटेड से, ओसराम इंडिया को बिक्री करने के लिए करता है।

ग. एक उत्पादक/निर्यातक को असहयोगकर्ता के रूप में मानकर उपलब्ध तथ्यों का आश्रय लेने की अनुमति विधि के अंतर्गत निर्धारित विनिर्दिष्ट स्थितियों के अंतर्गत ही है। वर्तमान जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त शर्तों को पूरा नहीं किया है।

घ. यूएस – हाट रोल्ड स्टील में अपीलीय निकाय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अनुबंध-II के पैराग्राफ-3 के अनुसार जांचकर्ता प्राधिकारियों को सूचना का प्रयोग करने का निदेश तब दिया जाता है जब तीन और कुछ परिस्थितियों में यथापरिकलित चार शर्तें पूरी होती हों।

यह शर्तें हैं कि सूचना (i) सत्यापन योग्य हो, (ii) उपयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई हो जिससे कि जांच में इसका प्रयोग बिना किसी परेशानी के किया जा सके, (iii) इसे समय पर प्रदान किया गया हो और जहां कहीं अनुप्रयोज्य हो, वहां इसकी आपूर्ति (iv) प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध की गई कम्प्यूटर भाषा या माध्यम में की गई हो। अपीलीय निकाय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उसके विचार से यदि यह शर्तें पूरी होती हैं तो जांचकर्ता प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना को, निर्धारण करते वक्त, अस्वीकार करने के हकदार नहीं हैं।

ङ. प्रश्नावली प्रत्युत्तर को स्वीकार न करने का प्रस्ताव जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद 6 क्रियान्वयन संबंधी करार के अनुबंध-II के पैरा 6 का उल्लंघन करता है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि साक्ष्य या सूचना को स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसके प्रदायक पक्षकार को ऐसा करने के कारणों की सूचना अग्रिम रूप से दी जानी चाहिए और एक तर्कसंगत अवधि के अंदर उनका स्पष्टीकरण प्रदान करने का अवसर दिया जाना चाहिए और जांच की समय-सीमा पर उचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि प्राधिकारी द्वारा यह माना जाता है कि वह दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है तो ऐसे साक्ष्य या सूचना को नामंजूर करने के कारणों का उल्लेख किसी प्रकाशित निर्धारण में नहीं किया जाना चाहिए। पैरा 6 में जांचकर्ता प्राधिकारी को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि आंकड़ों की प्रस्तावित नामंजूरी के कारणों का तत्काल उल्लेख करे और उन्हें एक युक्तियुक्त समयावधि के अंदर स्पष्टीकरण देने का पुन: अवसर दिया जाना चाहिए। इसी को अपीलीय निकाय और पैनल द्वारा अपने कई निर्णयों में उपपादित किया गया है।

च. डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय का निर्णय स्पष्टत: यह अपेक्षा करता है कि किसी निर्यातक के प्रत्युत्तर को नामंजूर करने से पहले प्राधिकारी उस निर्यातक को अधिसूचित करे और एक तर्कसंगत समयावधि के अंदर उसका स्पष्टीकरण देने का उसे अवसर प्रदान करे। डब्ल्यूटीओ करार में विधि के प्रावधानों को प्रतिष्ठापित किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांगकांग को उनके प्रत्युत्तर नामंजूर करने के अपने निर्णय के बारे में अग्रिम रूप से, सूचना न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांगकांग को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर दिया जाना चाहिए था। मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांगकांग को ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया।

छ. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांगकांग के प्रत्युत्तर को पूरी तरह से नामंजूर कर देना विधि विरुद्ध है। मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांगकांग द्वारा दायर प्रत्युत्तर को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए तथा और मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांगकांग को पृथक पाटन मार्जिन, उनके द्वारा दायर उत्तर के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

83. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों को नोट करते हैं और निम्नलिखित का प्रतिपादन करते हैं।

क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अधिकांश प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्तिक प्रवृत्ति के हैं और उनका प्रकटन विवरण तथा इस जांच परिणाम में पहले ही समाधान कर दिया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा पैरा 81(क) से (घ) तक की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां उनके द्वारा विगत में की गई टिप्पणियों की पुनरावृत्ति ही है जिनका इस जांच परिणाम में संगत शीर्षकों के अंतर्गत समुचित रूप से समाधान कर दिया गया है।

ख. जहां तक पैरा 81(ड.) में किए गए प्रस्तुतिकरण का संबंध है, प्राधिकारी ने इस पहलू की जांच इस जांच परिणाम के पैरा 24 से 27 में की है। घरेलू उद्योग द्वारा 81(छ) से 81(ञ) में किए गए प्रस्तुतिकरण भी केवल तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण एवं पुनरावर्तन हैं और उनकी आगे जांच करना अपेक्षित नहीं है। जहां तक मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे के अंतर्गत शामिल किए जाने के अनुरोध का संबंध है प्राधिकारी यह पुन: दोहराते हैं कि मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन से

किए गए आयातों और उपर्युक्त निर्यातक के साथ उसके संबंधों पर विचार करते हुए उसे घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि पहले ही जांच की गई है और इस जांच-परिणाम के पैरा 18 में उपपादित किया गया है।

ग. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा पैरा ठ, ड और ढ में किए गए प्रस्तुतिकरण प्रकटन में रिपोर्ट की गई संगत जांच की सम्पुष्टि के संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरण मात्र ही हैं। जहां तक पैरा 81(ण) का संबंध है, प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम के पैरा 74 और 75 में चीन में इस संबद्ध वस्तु की क्षमता और पाटन की संभावना तथा परिणामी क्षति की जांच की है। जहां तक घरेलू उद्योग के पैरा 81(त) में गैर-क्षतिकारी कीमत निर्धारण के संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरण का संबंध प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण इसकी संगत परम्परा के अनुरूप और नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार की है। जहां तक इस साधन के स्वरूप तथा पाटनरोधी शुल्क को यूएस डालर में निर्धारित करने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा पैरा 81(थ) और (द) में किए गए प्रस्तुतिकरण का संबंध है, प्राधिकारी ने उस पर इस मामले के तथ्यों के आलोक में उपयुक्त ढंग से विचार किया है।

घ. जहां तक मैसर्स ओसराम लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, चीन के पैरा 82(क) में किए गए इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि मैसर्स ओसराम चाइना के प्रश्नावली प्रत्युत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना उचित नहीं है, प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि पाटन मार्जिन का निर्धारण मैसर्स ओसराम लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, चीन के प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस संबद्ध वस्तु के आयातक ने कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है इसलिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला स्थापित नहीं की जा सकती है और मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. तथा मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच किए गए सौंदों को निकटस्थ के रूप में नहीं माना जा सकता है। संपूर्ण मूल्य श्रृंखला और मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रश्नावली प्रत्युत्तर के अभाव में प्राधिकारी मैसर्स ओसराम लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. के द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं कर सकते हैं।

ड. जहां तक मैसर्स ओसराम लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, चीन द्वारा पैरा 82(ख) में किए गए इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि उत्पादक एवं निर्यातक द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर निर्यातक द्वारा अपनाई गई बिक्री की सारणी दर्शाता है प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक एवं निर्यातक को यह सुनिश्चित् करना अपेक्षित होता है कि उनके उत्पादन, बिक्री और आयात में अंतर्ग्रस्त संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को प्रश्नावली प्रत्युत्तर में फाइल किया गया है। चूंकि मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया गया है, इसलिए निर्यात कीमत को स्वत: ही नजदीकी तौर पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है।

च. जहां तक मैसर्स ओसराम लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, चीन द्वारा पैरा 82(ग) में किए गए इस तर्क के प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि उपलब्ध तथ्यों का तब समुचित प्रयोग नहीं किया गया है, जब निर्यातक ने प्राधिकारी को सहयोग दिया है; प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जब संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पूरी नहीं हुई है और प्रश्नावली प्रत्युत्तर ही गलत है, जो असहयोग की श्रेणी में आता है, तो प्राधिकारी के समक्ष सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना का आश्रय लेने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है।

छ. जहां तक पैरा 82(घ) में किए गए प्रस्तुतिकरण का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय का यह निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि इस मामले में संबद्ध आयातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है।

ज. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि डब्ल्यूटीओ करार में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रश्नावली प्रत्युत्तर में अंतरालों के बारे में निर्यातक को सूचित करें प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त करार में उल्लिखित स्थिति ऐसी है जहां निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है और उसका कुछ भाग गुम है। वर्तमान मामले में यह प्रत्युत्तर संबद्ध आयातक से गुम है और चूंकि निर्यातक ने स्वयं ही यह घोषित किया है कि यह निर्यात पूर्णतया आयातक के लिए किए गए है और इसलिए यह तथ्य निर्यात पूर्णतया आयाताक के लिए किए गए हैं और इसलिए यह तथ्य निर्यातक के संज्ञान में था। निर्यातक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत को निर्यात के लिए उनकी मूल्य श्रृंखला पूरी है।

झ. जहां तक डब्ल्यूटीओ की इस अपेक्षा का संबंध है कि प्राधिकारी सूचना के अस्वीकरण की जानकारी निर्यातक को देंगे, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह अपेक्षा सूचना के अस्वीकरण के संबंध में है। वर्तमान मामले में प्रश्नावली प्रत्युत्तर स्वयं ही अधूरा है क्योंकि संबद्ध आयातक का प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया गया है।

ञ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को चाहिए कि वह निर्यातक को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दें, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसमें अंतर्ग्रस्त मामला आयातक या निर्यातक की स्थिति से संबंधित नहीं है। प्रश्नावली प्रत्युत्तर में स्वयं ही सूचीबद्ध निकायों की सूची की पहचान की गई है और ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को संबद्ध निकाय के रूप में माना गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्युत्तर यह दर्शाता है कि सभी निर्यात अपनी संबद्ध कंपनी को किए गए हैं। पुन:, इस आयातित उत्पाद की पुनर्बिक्री से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, तथापि, मैसर्स ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिक्री के संबंध में प्रदान की गई सूचना दर्शाती है कि आयातक ने स्वत: ही उस उत्पाद की बिक्री ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सभी व्ययों को जोड़कर आयात लागत से कम कीमत पर की है।

ट. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांगकांग, के संपूर्ण प्रत्युत्तर को नामंजूर कर दिया जाना निर्दिष्ट प्राधिकारी का विधि सम्मत कार्य नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमों में प्राधिकारी से यह स्पष्ट अपेक्षा की जाती है कि वह यह निर्धारित करें कि क्या निर्यातक द्वारा दावाकृत निर्यात कीमत, खासकर उस स्थिति में जब वस्तु का आयात संबद्ध कंपनी द्वारा किया गया है, भरोसेमंद है या नहीं। नियमों में यह प्रावधान है कि जहां निर्यात कीमत निर्यातक और आयातक या किसी तृतीय पक्षकार के बीच एसोसिएशन या क्षतिपूरक व्यवस्था के कारण भरोसेमंद नहीं है, वहां निर्यात कीमत की संरचना उस कीमत के आधार पर की जा सकती है जिस पर आयातित वस्तु की प्रथम पुनर्बिक्री स्वतंत्र क्रेता को की गई अथवा यदि उस वस्तु की बिक्री स्वतंत्र क्रेता को नहीं की गई या उसकी पुनर्बिक्री आयातित की स्थिति के रूप में नहीं की गई तो नियमावली के अनुसार तर्कसंगत आधार पर की जा सकती है। तथापि, जब संबद्ध आयातक ने आयातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर ही दायर न किया हो तो प्राधिकारी निर्यात कीमत की संरचना करने में असमर्थ है।

उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि प्राधिकारी मैसर्स ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण., मैसर्स ओसराम एशिया पैसिफिक लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांगकांग और ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आयातक) के लिए इस जांच परिणाम के पैरा 25 में किए गए उल्लेख के अनुसार व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हैं।

भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण भारत में इस उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर करेगा, घरेलू उद्योग को होने वाली और अधिक क्षति से बचाएगा तथा उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु का व्यापक विकल्प बनाए रखने में मदद करेगा। सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा कारित की जा रही क्षति का उपशमन करना होता है जिससे भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति पुनर्स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में हो। अत:, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उपभोक्ताओं को इस वस्तु की होने वाली उपलब्धता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने से संबद्ध देश से हो रहे आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। उपभोक्तागण अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकते हैं।

अंतिम जांच परिणाम

85. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान कराई गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों जिनमें प्रकटन विवरण के संबंध में की गईं टिप्पणियां अथवा उपर्युक्त जांच परिणाम में यथा-अभिलेखित टिप्पणियां शामिल है; को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा पाटन एवं क्षति की स्थिति के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

(i) संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ।

(ii) चीन जन.गण. की मूल की संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर निर्यात की जा रही है और यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति कारित होने की संभावना है।

(iii) संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, गैर-क्षतिकारी कीमत और बिक्री कीमत से कम कीमत पर निर्यात की जा रही है और यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

(iv) पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को चीन जन.गण. से हो रहे पाटित आयातों से क्षति कारित होने की संभावना है।

86. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क में विस्तार करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तद्नुसार, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कालम 9 में विनिर्दिष्ट राशि के अनुरूप पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	वस्तु शीर्ष	वस्तु विवरण	विनिर्देशन एवं उप-विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क/ राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	8539	काम्पैक्ट फ्लुअॅरेसंट लैम्प्स (निम्नलिखित टिप्पणी देखें)	26 वाट तक कोई भी	चीन जन.गण.	कोई	कोई	कोई	0.302	प्रति नग	यूएस डालर
2.	8539	काम्पैक्ट फ्लुअॅरेसंट लैम्प्स (निम्नलिखित टिप्पणी देखें)	26 वाट तक कोई भी	कोई	चीन जन.गण.	कोई	कोई	0.302	प्रति नग	यूएस डालर

नोट : इस शुल्क के लिए संबद्ध उत्पाद का दायरे में "बैलास्ट या कंट्रोल गियर या चोक के बिना या युक्त, असेम्बल किए गए अथवा असेम्बल न किए गए, पूर्णतया नाक्ड डाउन या अर्द्ध-नाक्ड डाउन परिस्थितियों में, काम्पैक्ट फ्लुअरेसॅन्ट लैम्प्स हैं, जिनमें बैलास्ट या चोक या कंट्रोल गियर के बना, लैम्प बेस युक्त या लैम्ब बेस रहित सील्ड ट्यूबुलर शेल शामिल हैं।" परिष्कृत काम्पैक्ट फ्लुअरेसॅन्ट लैम्प्स निम्नलिखित हैं :

क. अंत:निर्मित बैलास्ट या कंट्रोल गियर्स या चोक युक्त समन्वित टाइप के; और

ख. अंत:निर्मित बैलास्ट या कंट्रोल गियर्स या चोक के बिना समन्वित टाइप के।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "उतराई मूल्य" का अभिप्राय: वही होगा जो सीमाशुल्क द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत करनिर्धार्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों के सिवाय अन्य सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

87. केंद्रीय सरकार के उस आदेश को जो इस सिफारिश के परिणामस्वरूप दिया जाएगा के विरुद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।

88. प्राधिकारी इस संबंध में जारी अधिसूचना एवं नियमावली के संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर सार्वजनिक सूचनाओं के अनुरूप इसके अंतर्गत यथासंस्तुत साधन की निरंतरता, संशोधन अथवा निरस्तीकरण के लिए जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करेंगे। प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी समीक्षा के लिए कोई भी अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्धारित समय-सीमा के अंदर कोई अनुरोध दायर नहीं किया जाता है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2015

Final Finding

Subject: Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of Compact Fluorescent Lamps originating in or exported from China PR.

F. No15/22/2013-DGAD.— Having regard to the Custom Tariff Act 1075 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Custom tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Article and for Determination of injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (herein also referred to as the Rules);

1. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from China PR, Sri Lanka and Vietnam was initiated by the Authority vide notification No. 14/1/2007-DGAD dated 30th August, 2007. The preliminary finding was issued by the Authority on 12th March, 2008, recommending provisional antidumping duty on the imports of Compact Fluorescent lamps (CFL) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and Vietnam. The provisional duties were imposed vide Customs Notification No 126/2008 dated 21st November, 2008. The Authority notified final findings on 27th February, 2009 recommending definitive antidumping duty on the imports of CFL originating in or exported from China and Vietnam. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 55/2009-Customs, dated 26th May, 2009.

2. Whereas, Electric Lamp and Component Manufacturers' Association of India (hereinafter also referred to as "*ELCOMA" or "Petitioner/Petitioner Association*" or "Applicant") filed an application on behalf of the producers of the product under consideration in the present case before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules for initiation of anti-dumping investigations concerning imports of Compact Fluorescent lamps(hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (here in referred to as subject country)and requested for extension of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the said countries.

3. And whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 15/22/2013 DGAD dated 14th November, 2013, published in the Gazette of India, initiated the subject investigations in accordance with the Rules to determine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry and the need for continuation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR.

A. <u>PROCEDURE</u>

4. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:

i. The Authority received a duly substantiated Sunset Review application from Electric Lamp and Component Manufacturers' Association of India, on the behalf of domestic industries, for review and continuation of the duty in force on imports of Compact Fluorescent Lamps originating in or exported from China PR.

ii. The petitioners submitted prima facie evidence in this regard requesting for review and continuation of the anti-dumping duty in force.

iii. The Authority intimated to the Embassy of China in New Delhi that it has received a petition from the domestic industry to initiate sunset review investigation against imports of the subject goods originating in or exported from China PR.

iv. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the petitioners to justify initiation of the investigation, initiated sunset review investigation against imports of the subject goods originating in or exported from China PR vide initiation notification dated 14th November, 2013.

v. The scope of the present review covers all aspects of Notification No. 14/1/2007-DGAD dated 30th August, 2007.

vi. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of China PR in India, known producers/exporters from China PR, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.

vii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of China PR in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.

viii. The Embassy of China in India was informed about the initiation of the sunset review investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules with a request to advise the exporters/producers from China to respond to the questionnaire within prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassy of China along with the names and addresses of the known subject producers/exporters.

ix. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a. M/s. Changchun Electric Wire & Bulb, China
b. M/s. Hangzhou Hope Lighting Appliance Co., Ltd., China
c. M/s. Fujian Fuzhou Light Bulb Factory, China.
d. M/s. GunngzhouPanyu Seagull Flash Light Industry Co., China
e. M/s. Henan Anyang Bulb Factory, China
f. M/s. Jiangsu Xuzhou Everlasting Lighting Electrical Equipment Holding Co. Ltd., China
g. M/s. Leging Electric Bulb Factory, China
h. M/s. Shanghai Yaming Electric Lamp Works Co. Ltd., China
i. M/s. ChanzhouRedsun Electricals Appliance Manufacturing Co Ltd., China
j. M/s. Zhejing Sunlight Group Company Ltd., China
k. M/s. Lin'anLituo Electronics Co., Ltd., China
l. M/s. Lin An Edisun Electronics Co., Ltd., China
m. M/s. Jiangsu Shiney Lighting Electrical Appliance Co., Ltd., China
n. M/s. Fuzhou Reeyah Lighting Co., Ltd., China
o. M/s. Hangzhou Ecolight Industrial Co., China
p. M/s. Hangzhou jingjie electric Co. Ltd., China
q. M/s. ZhongshanXiongtian Lighting Co., China
r. M/s. ZhongshanLongde Lighting S&T Co. Ltd., China
s. M/s. Yipu Lighting Electronic Co., China
t. M/s. LinanOubo Electronic Lighting Co. Ltd., China
u. M/s. Foshan ShundeSanhn Lighting Co. Ltd., China (Guangdong)
v. M/s. Philips &Yaming Lighting Co. Ltd., China.
w. M/s. Guanghou Flash Light Industrial Corporation, China.

x. The exporter's questionnaire and MET questionnaire responses have been received from the following exporters of the subject goods from China PR:

a. M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR
b. M/s. Osram Asia Pacific Ltd., ("OAPAC"), Hong Kong

xi. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a. M/s. Samay Electronics pvt. Ltd.
b. M/s. WIPRO Ltd.
c. M/s. Hq Lamps Manufacturing Company
d. M/s. Delta Electronics
e. M/s. Sonera Time & Light Mfg. Co.
f. M/s. Ajanta Manufacturing Limited

xii. No Importer's questionnaire response has been received from any of the importers/users of the subject goods in India.

xiii. The Authority held an oral hearing on 7th October, 2014 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6) which was attended only by the domestic industry and their representatives. The domestic industry which alone presented its views in the oral hearing was advised to file written

submissions of the views expressed orally. As there was no exporter or importer present in the hearing nor filed any submission, the applicant has not filed any rejoinder to the views/information presented by the other interested parties. The Authority has considered submissions received from the petitioner appropriately.

xiv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules.

xv. Additional information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.

xvi. The Non-injurious Price based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry;

xvii. Investigation was carried out for the period; 1st April, 2012 – 31stMarch, 2013 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from April 2009-March 2010, April 2010-March 2011, April 2011 to March 2012 and the Period of Investigation (POI).

xviii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

xix. The petitioner had relied upon import data as per Impex (Secondary Source) in the petition. The Authority had relied upon the said data provided by the petitioner prima facie for the purpose of initiation of present investigation. Post initiation, request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods from China PR, for injury period, including the period of investigation. The data was received from the DGCI&S which has been appropriately examined.

xx. Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the- Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating parties by the Authority.

xxi. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry.

xxii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded these findings on the basis of the facts available.

xxiii. ***in this finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xxiv. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for this findings were disclosed to known interested parties vide disclosure statement dated 4th May 2015 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this notification.

xxv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US $ = Rs 54.65

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Views of the Domestic Industry

5. The views of the domestic industry are as follows:

The product under consideration is “Compact Fluorescent Lamps with or without ballast or control gear or choke, whether or not assembled, either in completely knocked down or semi knocked down conditions, including unassembled Compact Fluorescent Lamps without ballast or choke or control gear, sealed tubular shell with or without lamp base” also known as CFL originating in or exported from China PR.

Views of the other interested parties

6. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration, and like articles.

Examination by the Authority

7. The Authority notes that none of the interested parties has contested the meaning and scope of the product under consideration as defined by the Authority. The Product under Consideration (PUC) in the present investigation, as defined by the Authority in the initiation notification, is "Compact Fluorescent Lamps with or without ballast or control gear or choke, whether or not assembled, either in completely knocked down or semi knocked down conditions, including unassembled Compact Fluorescent Lamps without ballast or choke or control gear, sealed tubular shell with or without lamp base". Finished compact fluorescent lamps are:
 (i) Integrated type with built in ballast or control gears or choke and
 (ii) Integrated type without built in control gears or ballast or choke".

8. The product under consideration remains the same as in the original investigation. However, for the present investigation, Product under consideration is upto 26 watt. The product is classified under Chapter 85 of the Customs Tariff Act under subheading No. 8539. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

9. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:-

> *"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

10. The domestic industry has claimed that the subject goods produced by the domestic industry are identical to the product under consideration being imported into India. The domestic industry has claimed that there is no known difference in applicant's product and product under consideration exported from the subject countries and the two are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. There is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject countries and both are technically and commercially substitutable.

11. The Authority further notes from the information available on record that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. It is further noted that the Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the previous investigation, which is relied upon. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably and are like article within the meaning and scope of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Views of the Domestic industry

12. The views of the domestic industry are as follows:

a. The petition has been filed by Electric Lamp and Component Manufacturers' Association of India (referred to as Petitioner/Petitioner Association/ELCOMA) which represents domestic producers of the product under consideration in India.

b. M/s. Havells India Ltd, M/s Surya Roshni Limited, M/s. Crompton Greaves Limited, M/s. Osram India Pvt. Ltd., and M/s. NTL Electronic India Ltd. (hereinafter referred to as petitioner companies) are domestic producers of the product under consideration who have provided relevant information for review, continuation of anti-dumping duty and enhancement of the quantum of anti-dumping duty in force on imports of CFL from China PR.

c. M/s. Cenzer Industries Ltd., M/s. **S**tarlite Lighting Ltd., M/s. Dixon Technologies India (Pvt) Ltd., M/s. Halonix Technologies Ltd., M/s. HPL Electric and Power Pvt Ltd., and M/s. Philips Electronics India Ltd.have supported the present petition.

d. M/s. Osram India Pvt. Ltd. has imported volume *** Pcs of the product under consideration from its related companies in China.

e. Rule 2(b) has been amended on 1st Dec., 2011 and the word "only" deleted from the Rules to clearly specify that the Designated Authority has discretion in such matters. The fact that the rules grant discretion to the Designated Authority is well established in the matter of Soda Ash before Madras High Court and in the matter of Melamine before Calcutta High Court.

Views of the other interested parties

13. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

Examination of the Authority

14. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

> "*(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers*".

15. The Authority notes that the application in the present investigation has been filed by Electric Lamp and Component Manufacturers' Association of India on behalf of the domestic producers of the subject goods. Havells India Ltd., Surya Roshni Ltd., Crompton Greaves Ltd., and Osram India Pvt. Ltd., as domestic producers of the product under consideration have provided relevant information for review, continuation of anti-dumping duty and enhancement of the quantum of anti-dumping duty in force on imports of CFL from China PR.

16. It is found that M/s. NTL Electronic India Ltd. has produced the product under consideration only for other producers of the product under consideration in India. The company has not sold the material in the market. Since the company has sold its production to other Indian producers of the product under consideration, it is not appropriate to count production of NTL Electronic once again within the Indian production. Thus NTL Electronic has, therefore, not been considered a part of domestic industry.

17. The Authority notes that M/s Osram India Pvt. Ltd. has imported the product under consideration during the period of investigation (POI). Imports made by M/s. Osram India Pvt. Ltd. in relation to their own production, imports into India and demand in India are as under:

Parameter	Volume in Pieces
Imports from subject country	21,90,504
Imports from other countries	1,18,682
Total imports by M/s Osram India Pvt. Ltd. From the subject country	*****
Imports into India from all sources	23,09,186
Production of M/s Osram India Pvt. Ltd.	******
Demand in India	32,77,51,787
Share of imports in % by M/s Osram India Pvt. Ltd with regard to;	
Imports into India from subject country	10-20%
Production of M/s Osram India Pvt. Ltd.	Less than 2%
Demand in India	Less than 1%

18. The Authority notes that M/s. Osram India Pvt. Ltd. and M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR are related to each other being sister companies with common shareholding. The Authority further notes that M/s. Osram India Pvt. Ltd. had imported the subject goods from M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR in the POI of the original investigation also. However, in the original investigation, the imports share of the M/s. Osram India Pvt. Ltd. was only about 0.5% of the total imports from China. In the POI of the current investigation, M/s. Osram India Pvt. Ltd.'s share of the subject goods in the total imports from China PR is quite significant being about ****%. In view of this significant level of imports share of M/s. Osram India Pvt. Ltd., the Authority does not consider it appropriate to include M/s. Osram India Pvt. Ltd. as a part of the Domestic Industry. It, therefore, has excluded M/s Osram India

Pvt. Ltd. from the scope of the Domestic Industry. M/s. Philips India Ltd., a supporter of the petition has subsequently provided injury information and has therefore been included in the scope of domestic industry.

19. The authority notes that M/s. Havells India Ltd., Surya Roshni Limited, Crompton Greaves Limited and M/s. Philips Electronics India Limited who have provided injury information account for 44.45% of the production of the subject goods in the POI. Further the above producers along with the supporting companies viz Cenzer Industries Ltd., Starlite Lighting Ltd., Dixon Technologies India (Pvt) Ltd., Halonix Technologies Limited and HPL Electric and Power Pvt. Ltd account for 60.66 % of the total Indian production. On the basis of the above, the Authority holds M/s. Havells India Ltd., Surya Roshni Limited, Crompton Greaves Limited and M/s. Philips Electronics India Limited the producers of the subject goods as domestic industry as per rule 2(b).

D. Methodology and Determination of Dumping Margin, Normal value, Export Price and Market Economy Treatment,

Market Economy Claim

20. The Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise producers/exporters in their country to provide information. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti-Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. The exporter/producer of the subject goods from China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

i. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labor, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

ii. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

iii. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and

iv. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

21. M/s Osram China Lighting Co. Limited, China PR (OCL) and their associated exporter M/s Osram Asia Pacific Ltd., ("OAPAC") responded to the questionnaire.

Views of the Domestic industry

22. Following are the submissions made by the domestic industry:

a. The subject country should be treated as non-market economy. The normal value in China be determined on the basis of the constructed value in terms of Para 7 & 8 of the Annexure 1 to the Rules.

b. CFL can be with choke or without choke. Further, these are produced having different wattage. In view of significant difference in the costs and prices of the product under consideration having different wattage, the petitioners have determined separate normal value and export price for different watts.

c. Export price has been determined as weighted average price of imports of all known imports into India after making due adjustments. Export price has been determined as Rs.****/per piece.

d. Dumping Margin calculated is substantial.

Views of the interested parties

23. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to dumping margin.

Examination by Authority

24. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. M/s. Osram China Lighting Co. Limited, (OCL) along with its related exporter - M/s. Osram Asia Pacific Ltd., Hong Kong, ("OAPAC") responded to the questionnaire.

25. The Authority notes that M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR, the producer of subject goods, has exported the subject goods during POI through M/s. Osram Asia Pacific Ltd., Hong Kong. Both the producer and the exporter have filed questionnaire responses along with MET response claiming market economy status. The authority further notes that M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR exports through M/s. Osram Asia Pacific Ltd., Hong kong have been exclusively made to M/s Osram India Pvt. Ltd. only. However, M/s Osram India Pvt. Ltd. who have imported the subject goods has not filed any response as an importer and therefore, the Authority, in view of the absence of information on the entire value chain cannot establish that the transaction between M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR and M/s Osram India Pvt. Ltd. are at arm's length. The Authority, therefore, does not consider it appropriate to accept the response filed by M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR, to accord individual dumping margin to them by separately evaluating its ex-factory export price and normal value. The Authority therefore has adopted the same methodology for M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR for constructing the normal value and evaluating the ex- factory price as for other non-responding producers/exporters as detailed below.

26. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Normal value –All producer/Exporters of China PR

27. The Authority notes that none of the other producers and exporters of the subject goods from the subject country has submitted the exporter's questionnaire response and market economy questionnaire response, (M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR, whose response has not been accepted by the Authority), consequent upon the initiation notice issued by the Authority and rebutted the non-market economy presumption. In view of the above position and in absence of rebuttal of non-market economy presumption by the respondent Chinese company, the Authority considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure I to the Rules for determination of normal value in case of China PR which provides as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of

any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

28. In view of the above, the Authority has determined normal value having regard to para-7 of Annexure-I for the purpose of present investigation. The normal value for the subject products imported from China PR into India has been constructed considering consumption of major raw materials as per information provided by the domestic industry, international prices for major raw materials, conversion cost, interest, SGA etc. at the levels allowed for the domestic industry along with a reasonable profit on the cost of production.

29. The Authority has determined separate normal value for CFL with integrated choke and CFL without integrated choke for each group of wattage of the product. The weighted average constructed normal value is determined as ***** $/ pc.**

Export price- All producer/Exporters of China PR

30. The weighted average ex-factory export price has been determined on the basis of import price of subject goods during POI available through secondary sources in India appropriately adjusted with relevant per pc adjustments on Ocean freight, Marine insurance, Commission, handling charges, Port expenses and Bank charges to an extent of Rs. ***/pc, ***% of CIF, ***% of FOB, ***% of FOB, ***% of FOB and ***% of FOB respectively as claimed by the petitioner and allowed by the authority. The ex-factory weighted average export price is determined as ****** $/ pc**.

Determination of Dumping Margin

31. In view of the above analysis of the data, the dumping margin is worked out as mentioned in the table below.

Particulars	Units	All Producer/ Exporter of China PR
Normal Value	US$/ pc	***
Export price	US$/ pc	***
Dumping Margin	US$/ pc	***
Dumping Margin	%	49%
Dumping Margin- Range	Range	45-55

METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

E. Injury Determination and Examination of Injury and Causal Link

Views of Domestic Industry

32. The domestic industry has submitted that:

a. There is continued dumping of the product under consideration from China.
b. Dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject country should the current anti-dumping duty cease.
c. Volume of dumped imports has increased in spite of current anti-dumping duties.
d. The performance of the domestic industry has improved in terms of various economic parameters.
e. Volume of import has declined in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Even though the China customs data also shows decline in imports, yet, the volume of imports as per China customs is significantly higher than the volume of imports considered at present.
f. The imports are undercutting the domestic price and the injury margin so determined is positive.
g. The imports are undercutting the domestic price and effect of cessation of anti-dumping duty shall be significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
h. The domestic industry has not suffered injury during the period of duty because of the existing anti-dumping duty.

Views of other interested parties

33. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to injury.

Examination by the Authority

34. In consideration of the various submissions made by the domestic industry in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

35. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

36. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure-II of the Anti-dumping Rules states as follows.

> *"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*

37. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

38. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

39. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

F. Volume Effects of Dumped Imports

Import volumes and market share in imports

(a) Demand and market share

40. Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

i. Demand

Figures (numbers in '000)

Particulars	Units	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (POI)
Sales of Domestic Industry	Nos ('000)	88,514	1,12,462	1,21,806	1,32,553
Trend	Indexed	100	127	138	150
Sales of Supporters	Nos ('000)	45,906	67,755	81,670	76,660
Trend	Indexed	100	148	178	167
Sales of Other Indian Producers	Nos ('000)	82,427	1,05,292	1,08,545	1,16,230
Trend	Indexed	100	128	132	141
Imports from China	Nos ('000)	4,621	1,946	1,233	2,191
Imports from Other Countries	Nos ('000)	3,185	645	82	119
Demand/consumption	Nos ('000)	2,24,654	2,88,100	3,13,336	3,27,752

41. The Authority notes that the demand for the product under consideration has shown a positive trend during the injury period. The demand during the POI has increased by around 46% as compared to the base year.

ii. Market Share in Demand

42. Market share of imports from subject countries and other interested parties in demand/consumption of the product under consideration in India were as shown in table below:

Market Share in Demand	Units	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Domestic Industry	%	39.40%	39.04%	38.87%	40.44%
Supporters	%	20.43%	23.52%	26.06%	23.39%
Other Indian Producers	%	36.69%	36.55%	34.64%	35.46%
China-Subject Country	%	2.06%	0.68%	0.39%	0.67%
Other imports	%	1.42%	0.22%	0.03%	0.04%

43. It is seen from the above table that market share of imports from the subject country declined till 2011-12 due to the anti-dumping duty imposed and increased once again in 2012-13.

iii. Import volume and market share

44. Imports volume from China PR and other countries were as under:-

Particulars	Units	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Volumes					
Subject Country- China	Nos ('000)	4,621	1,946	1,233	2,191
Others	Nos ('000)	3,185	645	82	119
Total imports	Nos ('000)	7,807	2,591	1,315	2,309
Market Share In Imports					
Subject Country- China	%	59.20%	75.10%	93.78%	94.86%
Other	%	40.80%	24.90%	6.22%	5.14%
Total imports	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

45. It is seen from the above table that imports have declined till 2011- and increased once again in 2012-13.

iv. Imports in relation to production/ consumption

46. Authority observes that the imports from China have declined in relation to the production and consumption in India, as is evident from the following table:

Particulars	Units	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
China	Nos ('000)	4,621	1,946	1,233	2,191
Total imports	Nos ('000)	7,807	2,591	1,315	2,309
Total Indian production	Nos ('000)	2,25,786	2,90,814	3,12,433	3,29,240
Total Indian consumption	Nos ('000)	2,24,654	2,88,100	3,13,336	3,27,752
Imports in relation to total imports	%	59.20%	75.10%	93.78%	94.86%
Imports in relation to production	%	2.05%	0.67%	0.39%	0.67%
Imports in relation to consumption	%	2.06%	0.68%	0.39%	0.67%

47. It is seen from the above table that imports of the product under consideration have shown decline till 2011-12 and again increased in 2012-13. The volume of imports is low vis-à-vis production and consumption in India. The low volume of imports during the current period is due to imposition of anti-dumping duty.

v. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

48. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the cost of production, Net Sales Realization and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

Price Undercutting

49. Price undercutting has been assessed by comparing the export price with the domestic selling price in India of the subject goods during the period of investigation. It would be seen that the landed price of imports is lower than the selling price of the domestic industry, as shown in the following table:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Landed price of imports	Rs./No.	66.79	44.78	48.83	52.28
Trend	Indexed	100	67	73	78
Net Selling Price (Avg.)	Rs./No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	111	120
Price Undercutting	Rs./No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	589	595	662
Price Undercutting (%)		5-15	35-45	30-40	35-45

50. The Authority notes that the weighted average import prices of the product concerned have been below the selling prices of the domestic industry, resulting in positive price undercutting.

Price suppression/depression

51. The Authority has further examined whether the effect of such imports was to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree as shown in the table below:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Landed price of imports	Rs./No.	66.79	44.78	48.83	52.28
Cost of Sales	Indexed	100	106	115	118
Selling price	Indexed	100	105	111	120

52. It is seen from the above table that the landed price of imports is below the cost of production of the domestic industry throughout the injury period. The landed price of imports is below both the selling price and cost of production of the domestic industry. Thus, cessation of anti-dumping duty is likely to lead to price depression in the market.

Price Underselling

53. Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules. The analysis shows that the landed value of subject imports was below the non-injurious price as can be seen from the table below.

Particulars	Unit	POI
Non injurious price	Rs./No.	***
Landed price of imports	Rs./No.	48.87
Under Selling margin	Rs./No.	***
Under Selling margin	%	***
Under Selling margin %	Range	30-40

* Landed and non-injurious prices are based on weighted average of wattage wise comparison.

54. It is noted from the above table that imports from the subject country is having underselling effect on the prices of domestic industry.

Economic parameters of the domestic industry

55. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

i. **Production, Capacity, Capacity Utilization & Sale Volume**

56. Capacity and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:-

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Capacity	Nos ('000)	1,87,720	2,02,444	2,08,144	2,39,944
Trend	Indexed	100	108	111	128
Production	Nos ('000)	1,02,004	1,26,748	1,33,133	1,46,344
Trend	Indexed	100	124	131	143
Capacity Utilization	%	54%	63%	64%	61%
Trend	Indexed	100	115	118	112
Sales of Domestic Industry	Nos ('000)	88,514	1,12,462	1,21,806	1,32,553
Trend	Indexed	100	127	138	150
Demand	Nos ('000)	2,24,654	2,88,100	3,13,336	3,27,752

57. It is noted from the above table that production and capacity utilization of the domestic industry has improved over the injury period. It is further observed that the domestic industry has enhanced the capacity during 2010-11, 2011-120 & 2012-13.It is also noted that sales of the domestic industry has showed increasing trend over the injury period.

ii. Profit/Loss, Return of Investment

58. The profitability of the domestic industry is given in the following table:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Profit/(Loss) – Domestic	Rs./Unit	100	72	31	155
Profit/(Loss) – Domestic	Rs.Lacs	100	92	43	232
Cash Profit -Domestic	Rs.Lacs	100	100	55	228
Profit before Interest and Tax - Domestic	Rs.Lacs	100	103	82	222
Return on Capital Employed-NFA basis-Dom.	%	100	81	60	167

59. It is seen from the above table that the domestic industry profit has decreased till 2011-12 and increased in the POI. Return on investment and cash profits have shown the same trend as that of profits. The performance of the domestic industry therefore improved on these account.

iii. **Inventories**

60. Inventories with the domestic industry moved as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Closing Stock	Nos ('000)	2,943	5,225	6,587	5,997

It is noted that inventories with the domestic industry have increased till 2011-12 and declined during POI. However, the inventory during POI has increased as compared to the base year.

iv. **Productivity**

61. From the information given below, the Authority notes that productivity of the domestic industry shows same trend as that of production. Productivity per employee has increased throughout the injury period.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Productivity Per Employee	Nos ('000)	100	109	128	127
Productivity Per Day	Nos ('000)	291	362	380	418

v. **Employment and Wages**

62. It is seen that employment level hasincreased in the injury period as shown in the table below. Wages paid by the domestic industry have also shown an increasing trend during the injury period with a slight decline in POI.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
No of Employees	Nos.	100	114	102	113
Wages	Rs. Lacs	100	117	163	142

vi. Magnitude of Dumping

63. The dumping margins determined in respect of the producers/exporters from China are above de minimis. The dumping margins in the previous investigations were also found at quite significant levels. Positive dumping margin in the present investigations establishes the likelihood of dumping in the event of cessation of anti-dumping duty, particularly considering that the product under consideration is attracting a benchmark form of duty.

vii. Growth

64. The Authority notes that growth of the domestic industry is positivein terms of sales, production, capacity utilization, profits and return on investment because of the anti-dumping duty protecting them from injury due to dumped subject imports.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Production	%	-	24%	5%	10%
Capacity Utilization	%	-	8%	1%	-3%
Domestic sales	%	-	27%	8%	9%
Inventory	%	-	78%	26%	-9%
Profit/ No	%	-	-28%	-57%	395%
ROI	%	-	-3%	-3%	18%

viii. **Ability to raise capital investment**

65. It is noted that the domestic industry's ability to raise additional investments in the product depends upon the market situation. The domestic industry added capacities during the period, which shows that the domestic industry was able to raise capital investment with the anti-dumping duty being in force.

ix. Factors Affecting Domestic Prices

66. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling

price and the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting as well as price underselling in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period including the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is the landed value of the imports of dumped subject goods from subject countries.

x. Conclusion on material injury

67. After examining and analysing the facts and figures concerning injury to the domestic industry, the Authority concludes that the dumped imports of the subject goods from the subject country has declined over the injury period in absolute terms as also in relation to production and consumption of the subject goods in India. It is however noted that imports of the product from subject country are undercutting the prices of the domestic industry in the market. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is noted that demand for the subject goods in the domestic market increased significantly. Production and sales of the domestic industry have also increased in tandem with the increased demand. The domestic industry was able to improve its performance in terms of profits, return on investments, and cash flow. Thus, the analysis of various parameters relating to domestic industry shows that the domestic industry has been able to improve its performance due to the presence of anti-dumping duty.

Likelihood of dumping and injury

Submissions by the domestic industry

68. Following are the submissions made by the domestic industry:

i. Exporters in the subject country have capacities far in excess of Indian demand. In case of revocation of anti-dumping duty, the volume of subject goods' imports is bound to increase further. World's 80% production of CFL is in China.

ii. China is the supplier of major raw material for the product under consideration. China is the major supplier of Tri Band Phosphor. In fact, so significant is the supply of the Tri Band Phosphor from China that Govt. of China had earlier imposed hefty export duty on the product so that global producers of CFL become uncompetitive and Chinese producers practically become the only source of supply of CFL.

iii. The time required for setting up new production facilities or for enhancing capacities is too low. Therefore, the Chinese producers can enhance capacities or set up new production lines, if they find significant market for the product. Significant demand for the product under consideration in the Country can therefore be a significant attraction to the Chinese producers to enhance their capacities in no time.

iv. Dumping margins in the previous investigations were significantly high.

v. The performance of the domestic industry was sub-optimal despite anti-dumping duty was in force.

vi. Imports from the subject country would undercut the prices of the domestic industry in the Indian market in the absence of anti-dumping duty.

vii. The subject foreign producers are holding huge surplus production capacities,

S. No.	Name of known foreign producer/exporter	Capacity/ Production *(in pieces)*
CHINA		
1.	Hangzhou Hope Lighting Appliance Co.	10 mn/yr
2.	Lin'anLituo Electronics Co. Ltd.	1. 5 mn/yr
3.	Lin'anEdisunElectonics Co. Ltd.	1.2 mn/yr
4.	Jiangsu Shiney Lighting Electrical Appliance Co. Ltd.	8 mn/month
5.	Fuzhou Reeyah Lighting Co. Ltd	3.6 mn/yr
6.	Hangzhou Ecolight Industrial Co.	36 mn/ yr
7.	Hangzhou Jingjie Electric Co. Ltd.	7.2 mn/yr
8.	ZhongshanXiongtian Lighting Co.	43.2 mn/yr
9.	ZhongshanLongde Lighting Co.	14.4 mn/yr
10.	Zhongdazhengguuang Electricity & Lighting Factory	3.6 mn/yr

S. No.	Name of known foreign producer/exporter	Capacity/ Production *(in pieces)*
11.	Yipu Lighting Electronic Company	10.2 mn/yr
12.	LinanOubo Electronic Lighting Co. Ltd.	12 mn/yr
13.	Jiangmen Zhanyu Lighting Company Limited	54 mn/yr
14.	Hangzhou Tiger Electron and Electric Company Ltd	36 mn/yr
15.	FoshunShundeSanhn Lighting & Electrical Co. Ltd.	6.6 mn/yr

x. China is a large exporter of the product under consideration and the Chinese producers are highly export centric.The following table shows percentage of exports in total turnover of exporters in the subject country. The foreign producers are intensively focused on exports.

S. No.	Name of known foreign producer/exporter	Export Orientation %
	CHINA	
1.	JiaxingShengfeng Electronics Co. Ltd.	95
2.	Lin'anLituo Electronics Co. Ltd.	91-100
3.	Lin'anEdisunElectonics Co. Ltd.	71-80
4.	Jiangsu Shiney Lighting Electrical Appliance Co. Ltd.	91-100
5.	Fuzhou Reeyah Lighting Co. Ltd	91-100
6.	Hangzhou Ecolight Industrial Co.	91-100
7.	Hangzhou Jingjie Electric Co. Ltd.	81-90
8.	ZhongshanXiongtian Lighting Co.	71-80
9.	ZhongshanLongde Lighting Co.	61-70
10.	Zhongdazhengguuang Electricity & Lighting Factory	81-90
11.	Yipu Lighting Electronic Company	81-90
12.	LinanOubo Electronic Lighting Co. Ltd.	91-100
13.	Jiangmen Zhanyu Lighting Company Limited	81-90
14.	Hangzhou Tiger Electron and Electric Company Ltd	91-100
15.	FoshunShundeSanhn Lighting & Electrical Co. Ltd.	61-70

xi. The landed price of imports is substantially below the cost and selling price of the domestic industry. Thus, in the event of cessation of current anti-dumping duty and if the domestic industry chooses to sell at the import prices, the domestic industry would suffer significant financial losses.

xii. The exporters and producers from the subject country have continued to export the material at the dumped prices even after the imposition of the antidumping duty. There is no reason to consider that revocation of duties in the present case would not result in intensified dumping from China PR.

xiii. In the event of revocation of the anti-dumping duty, the product is likely to be dumped more intensively and undercut the prices of the domestic industry.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

69. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard

Examination by the Authority

70. None of the Chinese producers, barring M/s. Osram China Lighting Co. Ltd, China PR (OCL) has cooperated with the Designated Authority. The information on records shows existence of very large number of producers in China. The volume of exports made by Osram constitutes only about 20% of total imports in India and 0.12 % of estimated production in China. Thus, on the basis of quantum of exports by M/s OCL the likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty cannot be evaluated.

71. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires examination as to whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In the present investigation, there are continued dumped imports. The dumping margin in the original as well as the present investigation is positive, which clearly shows that the dumping margin is likely to remain positive in the event of cessation of anti-dumping duty. There are favourable market conditions in

the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned. The Authority has reason to believe that dumping is likely to intensify if the anti-dumping duty is ceased. It is a matter of fact that despite the anti-dumping measures in force, the subject country could still dump the subject goods in the Indian market. The following analysis show likelihood of continuation/intensification of dumping and recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of anti-dumping duty:

i. **Level of current and past dumping margin**

72. The level of dumping margin both in the original as well as present investigation is significant. The dumping margin is likely to increase should the present anti-dumping duties are allowed to cease.

ii. **Price attractiveness of Indian market**

73. The price at which the subject goods are being exported by China PR to India is an indicator of the likelihood of continuation/intensification of dumping. At the current level of landed price of imports in India, there is positive price undercutting during POI. Further, with the revocation of anti-dumping duty, the price undercutting is likely to increase further. Indian prices would be too attractive for the Chinese producers to intensify their exports to India at dumped prices and there is strong likelihood that Indian consumers would resort to large scale imports of the subject goods from China.

iii. **Export orientation of Chinese producers**

74. From the available information, it is evident that the Chinese producers /exporters are very much export oriented. Considering the high demand and favorable market conditions for the subject goods in India and the high production capacity and export orientation of the Chinese producers, the Authority holds that if the existing antidumping duties are withdrawn, the entire demand for the subject goods in India can be catered by the Chinese producers.

iv. **Huge Production Capacity in China**

75. As per the information furnished by the domestic industry, the producers of the subject goods in China hold production capacity of the subject goods far more than Indian demand. In the event of revocation of anti-dumping duty and considering the Chinese export orientation, the producers in China are capable of overtaking the Indian manufacturing sector engaged in subject goods. Authority notes in this regard that China commands worlds' 80% of production of CFL and is thus the major producer of the product under consideration.

Conclusion on likelihood of dumping and injury

76. Consideration of factors such as the difference in the volume and price of imports reported in Indian customs and China customs coupled with the form of measure earlier imposed, positive dumping margin, price undercutting & injury margin in the present and original investigations, significant production capacities in China to the extent of world's 80% production, high export orientation of the Chinese producers, de-facto complete control on the key raw material collectively and cumulatively show that the dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty. The quantity of dumped imports from the subject country has reduced, because of the Anti-dumping duty enforced. Even if the, imports are at dumped price, the domestic industry is able to improve their performance. In the case of cessation of duty there is every possibility of likelihood that the dumped imports will again increase and injure the domestic industry.

Magnitude of Injury and injury margin

77. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under. It is noted that the weighted average injury margin is quite significant.

Particulars	Unit	All producers/ Exporters from China PR
Non injurious Price	Rs/No	***
Landed Value	Rs/No	48.87
Injury margin	Rs/no	***
Injury margin	%	***
Injury margin	Range	30-40

Causal Link

78. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry.

i. **Injury due to other listed known factors**:

79. The authority examined whether known listed factors could have caused injury to the domestic industry.

a. **Imports from third countries -** It is noted that the import price from third countries are higher than the import price from China. It is thus not a case that the imports from third countries could have caused injury to the domestic industry.
b. **Changes in the patterns of consumption**: - The Authority notes that no significant change in the pattern of consumption for the subject goods has come to the knowledge of the Designated Authority.
c. **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**: - The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the injury to the domestic industry.
d. **Developments in technology**: - The Authority also notes from the information available on record that the investigation has not shown that the claimed injury could be due to changes in technology.
e. **Export performance**: The export performance of the domestic industry is not relevant since the price and profitability of the domestic industry has been segregated by the Authority for domestic and export markets separately for the purpose of assessing injury to the domestic industry
f. **Performance of other products being produced and sold by the domestic industry**: The authority also notes that claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration. Petitioner companies have not included any information for other products. Thus, the financial information provided with regard to product under consideration clearly shows the position of the domestic industry with regard to like article produced and sold by the domestic industry.

ii. **Factors establishing causal link**: -

80. The Authority notes that while listed known other factors do not show injury to the domestic industry, the following parameters show that injury to the domestic industry is likely by dumped imports in the event of cessation of anti-dumping duty:
a. Imports are undercutting the prices of the domestic industry. Further, the landed price of imports is below not only selling price of the domestic industry but also cost of production and non-injurious price of the domestic industry.
b. If the consumers switch over to the imported product, the same would imply decline in demand for the domestic industry product and increase in demand for the Chinese product. Thus, cessation of duty is likely to result in displacement of domestic industry market by Chinese imports.
c. Should the demand for the domestic industry product decline in the market, the domestic industry sales will decline.
d. Should sales for domestic industry decline, it would directly impact production and consequently capacity utilization. Thus, cessation of anti-dumping duty is likely to adversely impact market share, domestic sales, production and capacity utilization of the domestic industry.
e. Should the domestic industry respond to the Chinese competition after cessation of anti-dumping duty by reducing the prices, it shall imply significant adverse price effect on the domestic industry. Should the domestic industry sell at prices comparable to Chinese prices, the domestic industry will not be able to recover its cost of production and thus would suffer financial losses, negative cash flow and negative return on investment.
f. Buyers decide their procurement on the basis of relative prices offered by the foreign producers and domestic industry. If the prices offered by the foreign producers are lower, the buyers would increasingly switch over to foreign product. In the present case, if anti-dumping duties are removed; the exporters from subject country shall capture the market for subject goods in India on account of their high production capacities and low export prices.

Response to disclosure statement by Domestic Industry-

81. The post disclosure comments made by the Domestic Industry are as follows:-

a. The product under consideration has been exported at prices below normal value, resulting in dumping.
b. The domestic industry is likely to suffer injury in the event of cessation of antidumping duty presently in force.
c. The dumping margin and the injury margins are quite significant.
d. The domestic industry's performance has become positive in respect of a number of parameters due to imposition of anti dumping duty on the subject good.
e. The foreign producers have not fully cooperated with complete questionnaire response. The Designated Authority is fully justified in proceeding with the best available information. Petitioner refers to and relies upon the Rules and numerous investigations in this regard.
f. The imports from the subject country have declined in absolute terms as well as in relation to production and consumption in the country on a cumulative basis. However, imports are significant enough to establish whether

dumping is likely to continue in the event of cessation of anti dumping duty and whether import price is so low as to cause injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty.

g. The imports from the subject country were undercutting the domestic prices.

h. As the landed price of imports is below the cost of production of the domestic industry throughout the injury period the imports are likely to to lead to price depression in the market in the event of cessation of anti dumping duty.

i. Overall growth of the domestic industry over the injury period has improved due to the imposed anti dumping duty.

j. The Authority has rightly held that M/s NTL Electronic India Ltd. has produced the product under consideration but has not sold the material in the market. Since the company has sold its production to other Indian producers of the product under consideration, it is not appropriate to count production of NTL Electronic within the Indian production.

k. M/s Osram India Pvt. Ltd. and M/s Osram China Lighting Ltd., China PR are related to each other and M/s Osram India Pvt. Ltd. had imported the subject goods from M/s Osram China Lighting Ltd., China PR in both the POI of the original investigation as well as sunset review investigations. Though, in the original investigation, the imports share of the M/s Osram India Pvt. Ltd. was only about 0.5% of the total imports from China, whereas in the POI of the current investigation, M/s Osram India Pvt. Ltd.'s share of the subject goods in the total imports from China PR has been considered significant. Petitioners have submitted that Osram should be considered eligible domestic industry despite the imports made by them, given the low volume of imports.

l. M/s Philips India Ltd., a supporter of the petition has subsequently provided injury information and therefore it may be included in the scope of domestic industry. Petitioners have realized while reviewing the disclosure statement issued by the Authority that in fact production of Dixon has been accounted twice – once as production of Dixon as a supporting company and again as production of Philips. Therefore, production of Dixon is not required to be included in the production of eligible domestic production while determining share of companies providing injury information.

m. The authority has rightly held that M/s Havells India Ltd., Surya Roshni Limited, Crompton Greaves Limited and M/s Philips Electronics India Limited who have provided injury information account for 44.45% of the production of the subject goods in the POI. Further the above producers along with the supporting companies viz., Cenzer Industries Ltd., Starlite Lighting Ltd., Dixon Technologies India (Pvt) Ltd, Halonix Technologies Limited and HPL Electric & Power Pvt hgLtd account for 60.66 % of the total Indian production. thus, the Authority holds that M/s Havells India Ltd., Surya Roshni Limited, Crompton Greaves Limited and M/s Philips Electronics India Limited producers of the subject goods as domestic industry as per rule 2(b).

n. **Confidentiality -** The rules permit confidentiality on such information disclosure of which would be of significant competitive advantage to a competitor. The petitioners have claimed only such information as confidential, confidentiality of which is permitted under the Rules and the practices being followed by the Authority in this regard.

o. **Market Economy Treatment, Normal Value, Export Price And Dumping Margin-** Authority has held that in view of the absence of information on the entire value chain it cannot establish that the transaction between M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR and M/s Osram India Pvt. Ltd. are at arm's length. It is for Osram China and Osram India to address this issue. Petitioners submit that the prices at which Osram China has exported the product to India establish existence of significant dumping margin and injury margin . The Authority has considered it appropriate not to accept the response filed by M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR, to accord individual dumping margin to them by separately evaluating its ex- factory export price and normal value. The Authority has adopted the same methodology for M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR for constructing the normal value and evaluating the ex- factory price as for other non-responding producers/exporters.

The petitioners have reiterated that subject country has capacities far in excess of Indian demand and it is the supplier of major raw material for the product under consideration. The Authority has rightly upheld that China commands worlds' 80% of production of CFL and de-facto the sole supplier of the critical raw material required for production of the product under consideration.

The Authority has rightly stated that positive dumping margin, price undercutting & injury margin in the present and original investigations, significant production capacities in China to the extent of world's 80% production, high export orientation of the Chinese producers, de-facto complete control on the key raw material collectively and cumulatively show that the dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty.

p. **Magnitude of injury and injury margin** - The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Annexure III of the Anti-dumping Rules. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject country, which shows existence of significant injury margin. While the disclosure statement shows existence of significant injury margin, petitioner submits that the non injurious price determined may be reviewed, as this is too low to protect legitimate interests of the domestic industry.

q. **Duties on fixed quantum basis -** Petitioner has submitted that anti dumping duty may be continued as fixed quantum of anti dumping duty (fixed form of duty), expressed in USA. Followings are relevant in this regard–

i. There is only one product with different watts involved in the present case and the Designated Authority has done wattage wise comparison appreciating the significant difference in the costs and prices of different product types. Given these significant differences, fixed quantum of anti dumping duty may be recommended in the instant case. Benchmark form of duty is infeasible in the facts of the present case.

ii. The Anti dumping legislation has been created in consonance and in conformity with the WTO Agreement on Anti Dumping, which explicitly permit authorities to impose anti dumping duties in the form and manner requested.

iii. Experience generated out of fairly large number of investigations (more than 300 investigations have been conducted so far spread over more than 15 years) that attempts are made to evade anti dumping duty imposed. A large number of complaints made by spectrum of industries over a long period with regard to circumvention of anti dumping duties are relevant in this regard.

iv. Customs port authorities lack a mechanism to ensure correctness of import price reported by an importer. It is neither feasible nor practicable for the port authorities to verify the import price.

v. The duty should be imposed in a manner where it does not become futile.

vi. In the following cases, the order of the DA has been modified by CESTAT on the grounds of incorrect form of measures –

- in the case of NBR from Korea, the Hon'ble CESTAT modified variable anti-dumping duty recommended by Designated Authority to fixed duty based on the appeal filed by an exporter, M/s. Kumho Petro-Chemicals Co. Ltd. (2004(170)E.L.T. 274)
- in the case of Metcoke, the CESTAT, vide their decision 2000(116) E.L.T. 67 modified the anti-dumping duty from variable to fixed.
- in the case of Vitrified files, the CESTAT upheld the decision of the Designated Authority to impose fixed quantum of duty.

In view of the above, petitioners have requested the Designated Authority to recommend fixed quantum of duty in the present case.

r. Domestic industry has submitted that the duty should be imposed in terms of US$. The Designated Authority has already expressed anti dumping duty in terms of US$ in the original investigation as well as in number of other investigations. We request the same in the present case as well. Rupee has depreciated significantly and therefore, the definitive duties may kindly be expressed in US$. The depreciation of INR has impacted the cost of production.

82. The post disclosure comments made by other interested parties - The authority notes that only Osram has offered comments on the disclosure statement. No other interested party has offered any comments. Comments made by Osram are briefly as follows

a. The Authority's proposal to reject the response of M/s Osram China Lighting Ltd., China PR and M/s Osram Asia Pacific Ltd.,(Exporter/ Trader)HongKong and treat it as non co-operative is incorrect.

b. Exporters Questionnaire responses filed by M/s Osram Asia Pacific Ltd., Hong Kong, with Authority clearly mentioned that "*During the investigation period, all the subject products sold by the company fall in the scope of goods under consideration as indentified by the Designated Authority in this Anti-dumping proceeding. OSRAM Asia Pacific buys the products from OSRAM China Lighting Ltd., and OSRAM Korea Co., Ltd., for sale to OSRAM India"*

c. Resorting to facts available by treating a producer/exporter as non cooperative is permitted only under specified conditions laid down under the Law. In the instant investigation the Designated Authority has not fulfilled those conditions.

d. In *US—Hot-Rolled Steel*, the Appellate Body concluded that, according to paragraph-3 of Annex-II, investigating authorities are directed to use information if three, and, in some circumstances, four, conditions as enumerated are satisfied.

These conditions are that the information is (i) verifiable, (ii) appropriately submitted so that it can be used in the investigation without undue difficulties, (iii) supplied in a timely fashion, and, where applicable, (iv) supplied in a medium or computer language requested by the authorities.

The Appellate Body concluded that, in its view, "if these conditions are met, investigating authorities are *not* entitled to reject information submitted, when making a determination".

e. The proposal to reject the questionnaire response is violative of Para-6 of Annex-II of Agreement on Implementation of Article-VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, which provides that i*f evidence or information is not accepted, the supplying party should be informed forthwith of the reasons therefore, and should have an opportunity to provide further explanations within a reasonable period, due account being taken of the time-limits of the investigation. If the explanations are considered by the authorities as not being satisfactory, the reasons for the rejection of such evidence or information should be given in any published determinations.* Para 6 casts a responsibility on the Investigating Authority to intimate immediately the reasons for proposed rejection of data and

must give an opportunity to further give explanation within a reasonable period. The same has been held by Appellate Body and Panel in number of its decisions.

f. WTO Appellate Body judgments clearly require that before rejecting response of an exporter, the Authority must notify the said exporter and also give an opportunity to provide explanation within a reasonable period of time. The provision of law has been enshrined in the WTO Agreement so as to ensure that Principle of Natural Justice is followed by the Investigating Authority. In the instant investigation, the Designated Authority has violated the Principle of Natural Justice by not informing M/s Osram China Linghting Ltd., China PR and M/s Osram Asia Pacific Ltd.,(Exporter/ Trader)HongKong in advance about its decision to reject its response. The Designated Authority should have granted an opportunity to M/s Osram China Linghting Ltd., China PR and M/s Osram Asia Pacific Ltd.,(Exporter/ Trader)HongKong to explain its position. No such opportunity was ever granted to M/s Osram China Linghting Ltd., China PR and M/s Osram Asia Pacific Ltd.,(Exporter/ Trader)HongKong.

g. The rejection of complete response of M/s Osram China Linghting Ltd., China PR and M/s Osram Asia Pacific Ltd.,(Exporter/ Trader)HongKong, by the Designated Authority is not in accordance with the Law. Response filed by M/s Osram China Linghting Ltd., China PR and M/s Osram Asia Pacific Ltd.,(Exporter/ Trader) Hong Kong should be accepted and separate individual dumping margin may please be granted to M/s Osram China Linghting Ltd., China PR and M/s Osram Asia Pacific Ltd.,(Exporter/ Trader)HongKong, based on its response filed.

Examination by authority

83. The authority notes the post disclosure comments of the interested parties and holds as under.

a. The authority notes that most of the submissions of the domestic industry are repetitive and have already been addressed in the disclosure statement and also in the present findings. The authority notes that the post disclosure comments by the Domestic Industry in Para 81 (a) to (d) are reiteration of their earlier submissions which have been dealt appropriately under the relevant heads in this finding.

b. As regards submissions in Para 81 (e), the authority has appropriately examined this aspect in Para 24 to 27 of this finding. Submissions in 81 (g) to 81 (j) by Domestic Industry are also merely factual submissions and reiterations requiring no further examination. As regards DI's request to include M/s Osram India Private Limited within the scope of DI, the authority reiterates that given the magnitude of imports made by M/s Osram India Private Limited from M/s Osram China Lighting Ltd. China and its relationship with the aforesaid exporter, it cannot be treated as part of Domestic Industry, as already examined and held in Para 18 of this finding.

c. The authority notes that submissions by the Domestic Industry in Para l, m, and n are merely submissions on confirmation of relevant examination reported in the disclosure statement. As regards Para 81 (o) the authority has examined the issue relating to capacity of subject goods in China and the likelihood of dumping and consequential injury in the Para 74 & 75 of this finding. As regards the contention of the domestic industry concerning non injurious price determination submitted in para 81(p), the authority holds that the non injurious price has been determined in accordance with Annexure-III to the Rules as per its consistent practice. As regards the submissions of the domestic industry for form of measures and anti dumping duty in US$ in para 81(q) and (r), the authority has considered the same appropriately in the light of the facts of the case.

d. As regards submissions of M/s Osram Lighting Private Limited China in Para 82 (a) that rejection of questionnaire response of Osram China is not correct , the authority holds that the dumping margin cannot be determined on the basis of questionnaire response of M/s Osram Lighting Pvt. Ltd. China as M/s Osram India Pvt. Ltd., the importer of the subject goods has not filed the questionnaire response and therfore the entire value chain cannot be established and the transactions between M/s Osram China Lighting Ltd., China PR and M/s Osram India Pvt. Ltd., cannot be treated as at arm's length. In the absence of complete value chain and questionnaire response of M/s Osram India Private Ltd., the authority could not determine dumping margin in respect of exports made by M/s Osram Lighting Ltd. China PR.

e. As regards submissions by M/s Osram Lighting Private Limited China in Para 82 (b) contending that exporters questionnaire responses filed by producer and exporter shows the channel of sales adopted by the exporter, the authority notes that the producer and exporter are required to ensure that all entities in their value chain involved in production, sale and imports have filed questionnaire response. As no questionnaire response has been filed by M/s Osram India Pvt. Ltd., the export price itself cannot be established on arm's length basis.

f. As regards contention of M/s Osram Lighting Pvt. Ltd. China in Para 82 (c) that the use of facts available is not appropriate when the exporter has cooperated with the authority, the authority notes that when the questionnaire responses itself are deficient as entire value chain have not been completed, with related entities having preferred non cooperation, the authority has no choice but to resort to best available information.

g. As regards submissions in Para 82 (d), the authority notes that this WTO Appellate Body decision is not applicable to the facts of the present case, as in this case the related importer has not filed questionnaire response.

h. As regards the contention that the WTO Agreement requires the authority to intimate the exporter about the gaps in the questionnaire response, the authority notes that the situation stated in the Agreement is one where the exporters have filed questionnaire response and some part of the information is missing. In the present case, the response is missing from the related importer and as the exporter has himself declared that the exports have been made entirely

to the importer and therefore this fact was very much within the knowledge of the exporter. The exporter should have ensured that its value chain for exports to India is complete.

i. As regards the WTO requirement that the authority must inform the exporter about rejection of information, the authority notes that the requirement is with regard to rejection of information. In the instant case the questionnaire response itself is deficient as response of related importer has not been filed.

j. As regards the argument that the authority should give opportunity to the exporter to explain its position, the authority notes that the issue involved is not with regard to the position of the exporter and importer. The questionnaire response itself identifies lists of related entities and Osram India Pvt. Ltd. has been identified as related entity. Further, the response shows that all the exports have been made to the related entity. In the absence of the information about the resale price of the imported goods by M/s Osram India Private limited, the Authority is not in a position to determine whether the importer has infact sold the product at a price which may be below the cost of import after adding all expenses of M/s Osram India Pvt. Ltd.

k. As regards the contention that the rejection of complete response of M/s Osram China Lighting Ltd., China PR and M/s Osram Asia Pacific Ltd.,(Exporter/ Trader)Hong Kong, by the Designated Authority is not in accordance with the Law, the authority notes that the rules clearly require the authority to determine that the export price claimed by the exporter as reliable, particularly when the goods have been imported by a related entity. The Rules provide that where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may have to be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules. However, when the related importer has not even filed importer's questionnaire response, the authority is unable to construct the export price.

In view of the above, the authority holds that the authority is not in a position to determine individual dumping margin for M/s Osram China Lighting Ltd., China PR, M/s Osram Asia Pacific Ltd.,(Exporter/ Trader)Hong Kong and Osram India Pvt. Ltd. (Importer) as stated in Para 25 of this finding.

Indian industry's interest and other issues

84. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the continuation of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

FINAL FINDINGS:

85. Having regard to the issues raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties including those made as comments to the disclosure statement or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current dumping and injury, the Authority concludes that:

i. Subject goods exported from the subject country are at prices below their normal value, thus resulting in dumping.

ii. Subject goods originating in China PR are taking place at dumped prices and are likely to cause material injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty.

iii. Subject goods exported from the subject country are at prices below cost of production, Non Injurious Price and selling price of the domestic industry, and are likely to cause injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty.

iv. Injury to the domestic industry is likely from the dumped imports from China PR in the event of cessation of anti dumping duty.

86. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends extension of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount mentioned in Col 9 of the table below be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from China PR.

TABLE

SN	Heading	Description	Specification and Sub specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
1.	8539	Compact Fluorescent Lamps (see note below)	Any upto 26 watts	China PR	Any	Any	Any	0.302	Per pc	USD
2.	8539	Compact Fluorescent Lamps (see note below)	Any upto 26 watts	Any	China PR	Any	Any	0.302	Per pc	USD

Note - Scope of the product subject to duty is Compact Fluorescent Lamps with or without ballast or control gear or choke, whether or not assembled, either in completely knocked down or semi knocked down conditions, including unassembled Compact Fluorescent Lamps without ballast or choke or control gear, sealed tubular shell with or without lamp base. Finished compact fluorescent lamps are:

a. integrated type with built in ballast or control gears or choke and

b. integrated type without built in control gears or ballast or choke

Explanation: For the purpose of this notification, "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act.

87. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

88. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act, Rules and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.